

## अनुक्रमणिका

### भाग - क

विदेशी मुद्रा लेनदेन ..... 5

### खंड I

भारत के निवासी व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी के अलावा) और अनिवासियों व्यक्तियों के लिए सुविधाएं ..... 5

### खंड II

[हटा दिया गया] ..... 17

### खंड III

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I हेतु सुविधाएं ..... 18

### भाग-ख

[हटा दिया गया] ..... 21

### भाग-ग

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन ..... 22

### भाग-घ

[हटा दिया गया] ..... 27

### भाग-ङ

क. रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट ..... 28

ख. ट्रेड रीपॉजिटरी को रिपोर्टिंग ..... 29

अनुबंध I ..... 31

अनुबंध II ..... 35

अनुबंध III ..... 37

अनुबंध IV ..... 38

अनुबंध V ..... 39

अनुबंध VI ..... 40

अनुबंध VII ..... 41

अनुबंध VIII ..... 42

अनुबंध IX ..... 44

अनुबंध X ..... 45

अनुबंध XI ..... 46

अनुबंध XII ..... 47

अनुबंध XIII ..... 48

|                    |    |
|--------------------|----|
| अनुबंध XIV.....    | 49 |
| अनुबंध XV.....     | 49 |
| अनुबंध XVI .....   | 50 |
| अनुबंध XVII .....  | 50 |
| अनुबंध XVIII ..... | 50 |
| अनुबंध XIX .....   | 50 |
| अनुबंध XX .....    | 51 |
| अनुबंध XXI.....    | 52 |
| अनुबंध XXII.....   | 53 |
| परिशिष्ट- I.....   | 56 |
| परिशिष्ट- II.....  | 60 |
| परिशिष्ट- III..... | 61 |

## भाग - क

### विदेशी मुद्रा लेनदेन

#### खंड ।

<sup>1</sup>भारत के निवासी व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी के अलावा) और अनिवासियों व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

#### 1. परिभाषाएँ

(i) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,

क) 'प्रत्याशित एक्सपोज़र' का अर्थ फेमा, 1999 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियमों या विनियमों के तहत अनुमत चालू और पूँजी खाता लेनदेन के कारण उत्पन्न मुद्रा जोखिम से है, जिसे भविष्य में दर्ज किया जा सकता है।

ख) 'संविदागत एक्सपोज़र' का अर्थ फेमा, 1999 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियमों या विनियमों के तहत अनुमत चालू और पूँजी खाता लेनदेन के कारण उत्पन्न मुद्रा जोखिम से है, जो पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

उक्त (क) और (ख) के प्रयोजन हेतु स्पष्टीकरण,

(i) 'एक्सपोज़र' शब्द में निवासियों के बीच होने वाले वह लेनदेन से उत्पन्न एक्सपोज़र शामिल होंगे जो विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं या विदेशी मुद्रा से जुड़े हुए हैं या विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बैंचमार्क से जुड़े हैं, लेकिन भारतीय रूपया में निपटान किए जाते हैं; और

(ii) 'एक्सपोज़र' शब्द में हेजिंग के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु किए गए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी और विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी लेनदेन से उत्पन्न एक्सपोज़र शामिल नहीं होंगे।

ग) 'मुद्रा जोखिम' का अर्थ किसी विदेशी मुद्रा के मुकाबले रूपये की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव या एक विदेशी मुद्रा की दूसरी मुद्रा की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण या विदेशी मुद्रा पर लागू ब्याज दर के उतार-चढ़ाव के कारण हानि की संभावना है।

घ) 'प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा' का अर्थ एक गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी) के अलावा एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा है।

ঠ) '[इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म \(ईटीपी\)](#)' का अर्थ [इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म \(रिजर्व बैंक\) निदेश, 2018, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018](#), समय समय पर यथासंशोधित, के पैरा 2 (1) (iii) में दिए गए अर्थ के समान होगा।

<sup>1</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 13 दिनांक 05 जनवरी 2024

- च) 'एक्सचेंज ट्रेडिंग मुद्रा व्युत्पन्नी' का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा) विनियमन, 2000 ([अधिसूचना सं फेमा.25/2000-आरबी दिनांक 03 मई, 2000](#)), समय-समय पर यथासंशोधित, के विनियम 2(xvi) में दिए गए अर्थ के समान ही होगा।
- छ) 'विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा' का अर्थ एक वित्तीय संविदा से है जो किसी विदेशी मुद्रा की ब्याज दर में परिवर्तन से अपना मूल्य प्राप्त करता है और जिसका निपटान आगामी तारीख में किया जाता है, यथा स्पॉट निपटान की तारीख से बाद की किसी भी तारीख को, बशर्ते कि नेपाल और भूटान की मुद्राओं से जुड़े संविदा इस परिभाषा के तहत अर्हता प्राप्त नहीं होंगे।
- ज) 'विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा' का अर्थ एक वित्तीय संविदा से है जो दो मुद्राओं की विनिमय दर में परिवर्तन से अपना मूल्य प्राप्त करता है, जिनमें से कम से कम एक मुद्रा भारतीय रूपया न हो तथा जिसका निपटान आगामी तारीख में किया जाता है, यथा स्पॉट निपटान की तारीख से बाद की किसी भी तारीख को, बशर्ते कि नेपाल और भूटान की मुद्राओं से जुड़े संविदा इस परिभाषा के तहत अर्हता प्राप्त नहीं होंगे।
- झ) 'हेजिंग' का अर्थ है प्रत्याशित या संविदागत एक्सपोज़र के प्रभाव को समायोजित करने हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी/विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी लेनदेन करने की गतिविधि।
- ज) 'लीवरेज व्युत्पन्नी' से अर्थ एक ओटीसी व्युत्पन्नी से है, जिसका व्युत्पन्नी की अवधि के दौरान संभावित भुगतान संविदा की नॉशनल राशि से अधिक हो सकती है या जिसकी भुगतान गणना में नॉशनल राशि या अंतर्निहित दर/मूल्य/सूचकांक के 1.0 से अधिक के गुणक से प्रभावी गुणन शामिल है।
- ट) 'मिड-मार्केट मार्क' का अर्थ है व्युत्पन्नी की वह कीमत जो लाभ, क्रेडिट रिझर्व, हेजिंग, वित्त पोषण, चलनिधि, या किसी अन्य लागत या समायोजन से मुक्त है।
- ठ) 'निवल मालियत' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 2 (57) में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।
- ड) 'गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी)' का अर्थ है एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा जिसमें संविदा की अंतर्निहित मुद्राओं की नॉशनल राशि की कोई डिलीवरी नहीं होती है और जिसका नकद निपटान किया जाता है।
- ढ) 'ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी' का अर्थ एक ऐसी व्युत्पन्नी (प्रदेय या गैर-प्रदेय) से है जिसका मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर लेनदेन नहीं होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर लेनदेन होने वाले व्युत्पन्नी शामिल होंगे।
- ण) 'मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम' का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 दिनांक 03 अक्टूबर, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, के विनियम 2 (1) (पी) में दिए गए अर्थ के समान होगा।

त) 'मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज' का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 दिनांक 03 अक्टूबर, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, के विनियम 2 (1) (यू) में दिए गए अर्थ के समान होगा।

थ) 'आवर्त' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (91) में दिए गए अर्थ के समान होगा।

द) उपयोगकर्ता का अर्थ है फेमा, 1999 (1999 का 42) के पैरा 2 (यू) के तहत परिभाषित कोई भी व्यक्ति, एक प्राधिकृत व्यापारी के अलावा, चाहे वह भारत का निवासी हो अथवा अनिवासी हो।

(ii) इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत व्यापारी का अर्थ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-III के रूप में प्राधिकृत एकल आधार प्राथमिक व्यापारी होगा, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। केवल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का कोई भी विशिष्ट संदर्भ एकल आधार प्राथमिक व्यापारियों के लिए लागू नहीं होगा।

(iii) विशिष्ट प्रकार के विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं का वही अर्थ होगा जो इस मास्टर निदेश के अनुबंध XXII में दिया गया है।

(iv) इन निदेशों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, भारतीय रिझर्व बैंक अधिनियम, 1934 और विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा) विनियमन, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, में दिए गए अर्थ के अनुसार होगा।

## 2. ओटीसी विदेशी मुद्रा लेनदेन हेतु निदेश

### 2.1 उपयोगकर्ता वर्गीकरण फ्रेमवर्क

(i) किसी उपयोगकर्ता को विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा एवं विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ता को खुदरा या गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत करेंगे।

(ii) निम्नलिखित उपयोगकर्ता गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र होंगे:

(क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), एकल आधार प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित;

(ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा विनियमित बीमा कंपनियां;

(ग) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित पेंशन निधियां;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक निवेश निधियां;

(ङ) निवासी उपयोगकर्ता जिनका (क) न्यूनतम निवल मूल्य ₹500 करोड़ है; (बी) नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹ 1000 करोड़ का न्यूनतम आवर्त है; और

(च) भारत के बाहर रहने वाले निवासी, व्यक्तियों के अलावा।

(iii) कोई भी उपयोगकर्ता जो गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र नहीं है, उसे खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(iv) कोई भी उपयोगकर्ता जो अन्यथा गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र है, उसे खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत होने का विकल्प होगा।

(v) कोई भी उपयोगकर्ता, जो अन्यथा खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र है, उसे गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत होने का विकल्प होगा बशर्ते कि उपयोगकर्ता इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी से अनुरोध करें और प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि उपयोगकर्ता के पास गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत होने हेतु समुच्च जोखिम प्रबंधन क्षमताएं हैं।

## 2.2 उत्पाद

(i) प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं (खुदरा तथा गैर-खुदरा) को निम्नलिखित विदेशी मुद्रा संविदाओं, जिनमें भारतीय रूपया अथवा अन्यथा शामिल हो, की पेशकश कर सकते हैं :

- (क) विदेशी मुद्रा नकदी;
- (ख) विदेशी मुद्रा टॉम; और
- (ग) विदेशी मुद्रा स्पॉट।

नोट: मुद्रा परिवर्तित करने वाले लेनदेन इन निदेशों के दायरे में नहीं हैं और इन्हे [मास्टर निदेश - मुद्रा बदलने के कार्य दिनांक 01 जनवरी, 2016](#), समय-समय पर यथासंशोधित या इस संबंध में जारी किसी अन्य नियम, विनियमन या निदेश द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी निम्नलिखित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा, जिसमें भारतीय रूपया या अन्यथा शामिल हो, की पेशकश, खुदरा उपयोगकर्ताओं को कर सकते हैं:

- (क) विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड;

- (ख) विदेशी मुद्रा स्वैप;
- (ग) मुद्रा स्वैप;
- (घ) विदेशी मुद्रा कॉल ऑप्षन की खरीद (यूरोपीय);
- (ङ) विदेशी मुद्रा पुट ऑप्षन की खरीद (यूरोपीय);
- (च) विदेशी मुद्रा कॉल स्प्रेड की खरीद; और
- (छ) विदेशी मुद्रा पुट स्प्रेड की खरीद।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश कर सकते हैं, जिनमें भारतीय रूपया अथवा अन्यथा शामिल हो-

- (क) खुदरा उपयोगकर्ताओं को पेश किए जाने हेतु अनुमत सभी विदेशी मुद्रा उत्पाद;
- (ख) कवर्ड विदेशी मुद्रा कॉल विकल्प;
- (ग) कवर्ड विदेशी मुद्रा पुट विकल्प;
- (घ) विदेशी मुद्रा फॉर्वर्ड/विदेशी मुद्रा स्वैप/मुद्रा स्वैप/विदेशी मुद्रा ऑप्षन, को करने/रद्द करने का ऑप्षन; और
- (ङ) कोई अन्य विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा जिसमें घटकों के रूप में नकद लिखत और/या अनुमत व्युत्पन्नियों वाले व्युत्पन्नी शामिल हैं, लेकिन लेकिन लीवरेज व्युत्पन्नियों और उन व्युत्पन्नियों को छोड़कर, जिनमें विशेष रूप से अनुमत व्युत्पन्नियों के अलावा अंतर्निहित व्युत्पन्नी लिखत शामिल हो।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी खुदरा उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश कर सकते हैं

- (क) वायदा दर करार;
- (ख) ब्याज दर स्वैप;
- (घ) ब्याज दर कॉल ऑप्षन की खरीद (यूरोपीय);
- (ङ) ब्याज दर पुट ऑप्षन की खरीद (यूरोपीय);
- (च) ब्याज दर कैप की खरीद;
- (छ) ब्याज दर फ्लोर की खरीद;
- (ज) ब्याज दर कॉलर की खरीद; और
- (ज) ब्याज दर रिवर्स कॉलर की खरीद।

(v) प्राधिकृत व्यापारी गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश कर सकते हैं:

- (क) खुदरा उपयोगकर्ताओं को पेश किए जाने हेतु अनुमत सभी विदेशी मुद्रा ब्याज दर उत्पाद;

(ख) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप / ब्याज दर ऑप्शन, को करने / रद्द करने का ऑप्शन; और

(ग) कोई अन्य विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा जिसमें घटकों के रूप में नकद लिखत और/या अनुमत व्युत्पन्नियों वाले व्युत्पन्नी शामिल हैं, लेकिन लेकिन लीवरेज व्युत्पन्नियों और उन व्युत्पन्नियों को छोड़कर, जिनमें विशेष रूप से अनुमत व्युत्पन्नियों के अलावा अंतर्निहित व्युत्पन्नी लिखत शामिल हो।

(vi) भारतीय रूपया से जुड़े एनडीडीसी की पेशकश निवासियों और गैर-निवासियों को एक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक द्वारा की जा सकती है, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक (या इसके अनिवासी मूल बैंक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) का परिचालन कर रहे हो, जैसा कि परिपत्र संख्या आरबीआई/ 2014-15/533.डीबीआर.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 दिनांक 1 अप्रैल, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – ||| के रूप में प्राधिकृत एकल प्राथमिक व्यापारियों द्वारा भी ऐसे लेन-देन की पेशकश निवासियों और गैर-निवासियों को की जा सकती है।

(vii) निवासी उपयोगकर्ताओं को पेश की जाने वाली भारतीय रूपया से जुड़े एनडीडीसी को भारतीय रूपया में नकद-निपटान किया जाएगा। अनिवासी उपयोगकर्ताओं को पेश किए जाने वाले ऐसे व्युत्पन्नी को भारतीय रूपया या किसी भी विदेशी मुद्रा में नकद-निपटान किया जाएगा।

(viii) विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाएं जिनमें भारतीय रूपया शामिल न हो और हेजिंग के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए निवासी उपयोगकर्ताओं को पेश की जाने वाली विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाएं, भारतीय रूपया में नकद-निपटान की जाएंगी। हेजिंग के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु अनिवासी उपयोगकर्ताओं को पेश की जाने वाले ऐसे व्युत्पन्नी का निपटान भारतीय रूपया या किसी भी विदेशी मुद्रा में किया जाएगा।

## 2.3 उद्देश्य

(i) प्राधिकृत व्यापारी अनुमेय चालू अथवा पूँजीगत खाता लेन-देनों हेतु उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा कैश, टॉम एवं स्पॉट संविदाओं, जिनमें भारतीय रूपया अथवा अन्य शामिल हैं, की पेशकश कर सकते हैं।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के प्रयोजन हेतु भारतीय रूपया से जुड़े प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा की पेशकश कर सकते हैं।

(iii) आईएफएससी बैंकिंग इकाई का परिचालन कर रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – ||| के रूप में प्राधिकृत एकल प्राथमिक व्यापारी निवासी उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के प्रयोजन हेतु और अनिवासी उपयोगकर्ताओं को प्रयोजन की दृष्टि से बिना किसी प्रतिबंध के, भारतीय रूपया से जुड़े एनडीडीसी की पेशकश कर सकते हैं।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी प्रयोजन की वृष्टि से बिना किसी प्रतिबंध के उपयोगकर्ताओं को उन प्रदेय और गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश कर सकते हैं, जिनमें भारतीय रूपया शामिल न हो।

(v) प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को प्रयोजन की वृष्टि से बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नियों की पेशकश कर सकते हैं।

(vi) प्राधिकृत व्यापारी, व्यक्तियों के अलावा निवासी उपयोगकर्ताओं को अपनी भारतीय रूपया की देयता को विदेशी मुद्रा देयता में परिवर्तित करने के प्रयोजनार्थ मुद्रा रूप से समय, और ऐसे संविदाओं की वैद्यता अवधि के दौरान, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि:

(क) उसी एक्सपोज़र को किसी अन्य व्युत्पन्नी संविदा का उपयोग करके हेज न किया गया हो;

(ख) व्युत्पन्नी संविदा की नॉशनल और परिपक्ता काल एक्सपोजर के कीमत और परिपक्ता काल से अधिक न हो;

(ग) यदि एक्सपोजर पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है, तो उपयोगकर्ता ने उपरोक्त (ख) का पालन सुनिश्चित करने के लिए हेज को उचित रूप से समायोजित किया हो, जब तक कि मूल व्युत्पन्नी संविदा को किसी अन्य अनहेज्ड एक्सपोजर के विरुद्ध समनुदेशित नहीं किया जाता है। यदि प्राधिकृत व्यापारी की सुविचारित राय में, एक्सपोजर में परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, तो हेज में कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है;

(घ) ऐसे मामलों में जहां एक्सपोज़र का मूल्य व्युत्पन्नी के नॉशनल से कम हो जाता है, नॉशनल को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए जब तक कि एक्सपोज़र के बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण ऐसा विचलन न हुआ हो, ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता अपने विवेकानुसार व्युत्पन्नी संविदा को उसकी मूल परिपक्ता तक जारी रख सकता है। हेज में किसी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, यदि प्राधिकृत व्यापारी की राय में, एक्सपोज़र में परिवर्तन भौतिक नहीं है;

(ङ) जहां एक्सपोज़र का मूल्य निश्चित रूप से सुनिश्चित करने योग्य नहीं है, व्युत्पन्नी संविदाएं उचित अनुमानित मूल्य के आधार पर बुक की जा सकती हैं। उपर्युक्त (ग) और (घ) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अनुमानित मूल्यों की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।

बशर्ते कि प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को अंतर्निहित एक्सपोज़र के अस्तित्व को स्थापित करने की आवश्यकता के बिना, संविदागत एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए सभी प्राधिकृत व्यापारियों के साथ, 100 मिलियन अमरीकी डालर, अनुमानित मूल्य (किसी भी समय बकाया) के बराबर, तक की पॉजीशन लेने की अनुमति प्रदान करेंगे। प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को सूचित करेंगे कि तथापि उन्हें अंतर्निहित एक्सपोज़र के अस्तित्व को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें एक वैध अंतर्निहित संविदागत एक्सपोज़र के अस्तित्व को सुनिश्चित करना होगा जिसे किसी अन्य व्युत्पन्नी संविदा का उपयोग करके हेज नहीं किया गया हो और यदि आवश्यक हो तो इसे स्थापित करने की स्थिति में होना चाहिए।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को व्युत्पन्नी संविदाओं को स्वतंत्र रूप से रद्द करने और पुनः बुक करने की अनुमति प्रदान करेंगे। तथापि, प्रत्याशित एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए बुक किए गए व्युत्पन्नी संविदाओं पर निवल लाभ (हानि, यदि कोई हो, से अधिक लाभ) केवल प्रत्याशित लेनदेन के नकदी प्रवाह के समय पात्र उपयोगकर्ता को दिया जाएगा। आंशिक सुपुर्दगी के मामले में, निवल लाभ को यथानुपात आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी, असाधारण मामलों में, प्रत्याशित एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए बुक किए गए व्युत्पन्नी संविदाओं पर निवल लाभ को हस्तांतरित कर सकते हैं, जिसका अंतर्निहित नकदी प्रवाह कार्यान्वित नहीं हुए हो, बशर्ते कि यह सुनिश्चित हो कि नकदी प्रवाह की अनुपस्थिति उन कारकों के कारण है जो उपयोगकर्ता के नियंत्रण से परे हैं। ऐसे मामलों को प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विशिष्ट औचित्य के साथ रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं से ऐसे दस्तावेज की मांग कर सकते हैं जो वे इन निदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने हेतु आवश्यक समझते हैं।

(v) प्राधिकृत व्यापारी, संविदा करने से पहले, खुदरा उपयोगकर्ता को विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी/विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी का मिड-मार्केट मार्क/बोली प्रदान करेंगे और इसे सौदा पुष्टिकरण/टर्म शीट में भी शामिल करेंगे।

(vi) अनिवासी (या उसके केन्द्रीय राजकोष/सामूहिक इकाई, जहां लागू हो) को भारतीय रूपया से संबंधित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा की पेशकश करते समय, प्राधिकृत व्यापारी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाईयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यमों सहित) के माध्यम से अनिवासी उपयोगकर्ता के साथ प्रत्यक्ष या बैक-टू-बैक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यापार कर सकते:

(क) विदेशी इकाई मेजबान क्षेत्राधिकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार व्यापारी / मार्केट-मेकर की क्षमता में संबंधित उत्पाद के साथ व्यापार करने के लिए पात्र हो;

(ख) भारत में निगमित प्राधिकृत व्यापारियों के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम ऐसे लेन-देन कर सकते हैं बशर्ते पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम एक बैंकिंग इकाई हो;

(ग) अनिवासी उपयोगकर्ता के केन्द्रीय राजकोष/सामुहिक इकाई के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करे कि केन्द्रीय राजकोष/सामुहिक इकाई उपयोगकर्ता द्वारा उसके लिए और उसकी ओर से व्यापार करने के लिए समुचित रूप से प्राधिकृत हो; और

(घ) प्राधिकृत व्यापारी उपर्युक्त लेन-देनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पद्धति और समय में सूचना, आंकड़े या कोई अन्य अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि अनिवासी उपयोगकर्ताओं के मामले में, विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित सभी देय राशि उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यावर्तनीय निधियों और/या सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषण से पूरी की जाती हो।

(viii) ओटीसी बाजारों के मार्केट मेकर्स [आरबीआई परिपत्र सं. विबाविवि.एफएमडी.07/02.03.247 दिनांक 16 सितंबर, 2021](#) के माध्यम से जारी मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव में मार्केट मेकर्स) निदेश 2021, समय-समय पर यथासंशोधित, का अनुपालन करेंगे।

(ix) पूर्व निदेशों के उपबंधों के अंतर्गत बुक की गई वर्तमान संविदाओं को उनकी समाप्ति की तारीख तक जारी रखा जा सकता है।

### 3. एक्सचेंज ट्रेडिंग मुद्रा व्युत्पन्नी हेतु निदेश

3.1 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम, विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों से संबंधित कारोबार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनके पास विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 (1) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार न हो।

#### 3.2 उत्पाद

(i) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भारत में निवासी व्यक्तियों और भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को निम्नलिखित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश कर सकते हैं, जिनमें भारतीय रूपया या अन्यथा शामिल हो:

- (क) विदेशी मुद्रा पृथूचर;
- (ख) विदेशी मुद्रा कॉल ऑप्षन (यूरोपीय); और
- (ग) विदेशी मुद्रा पुट विकल्प (यूरोपीय)।

(ii) अनुमत मुद्रा जोड़े: यूएस डॉलर-आईएनआर, यूरो-आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड -आईएनआर, जापानी येन-आईएनआर, यूरो-यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड-यूएस डॉलर और यूएस डॉलर- जापानी येन।

(iii) विदेशी मुद्रा ऑप्षन के लिए अंतर्निहित तदनुरूपी मुद्रा जोड़ी की स्पॉट दर होगी।

(iv) अवधि: 12 महीने तक।

### 3.3 उद्देश्य

(i) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को भारतीय रूपया से जुड़े विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाए संविदागत एक्सपोज़र की हेजिंग के उद्देश्य से पेशकश कर सकते हैं।

(ii) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाए जिनमें भारतीय रूपया शामिल न हो की पेशकश बिना किसी प्रयोजन प्रतिबंध की दृष्टि से कर सकते हैं।

### 3.4 अन्य निदेश

(i) भारतीय रूपया से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करे कि:

(क) उपयोगकर्ता को अंतर्निहित एक्सपोज़र के अस्तित्व को स्थापित किए बिना, भारतीय रूपया से जुड़े सभी मुद्रा जोड़े में 100 मिलियन अमरीकी डालर की एकल सीमा तक पॉजीशन (लॉंग या शॉर्ट) लेने की अनुमति है, जिसे साथ रखा गया हो और सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में संयुक्त किया गया हो;

नोट: मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को सूचित करें कि जबकि उन्हें अंतर्निहित एक्सपोज़र के अस्तित्व को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एक वैध अंतर्निहित संविदागत एक्सपोज़र के अस्तित्व को सुनिश्चित करना चाहिए जिसे किसी अन्य व्युत्पन्नी संविदा का उपयोग करके हेज न किया गया हो और यदि आवश्यक हो तो इसे स्थापित करने की स्थिति में हो।

(ख) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सभी एक्सचेंजों में भारतीय रूपया से जुड़े संविदाओं में यूएस डॉलर 100 मिलियन (या समकक्ष) से अधिक की पॉजीशन लेने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं उपयोगकर्ता के

लेनदेन की निगरानी हेतु एक प्राधिकृत व्यापारी / संरक्षक को पदनामित करने की सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

- (i) सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में भारतीय रूपया से जुड़े सभी संविदाओं में उपयोगकर्ता के सभी पदों को संविदागत एक्सपोजर द्वारा समर्थित किया जाता हो;
  - (ii) उसी एक्सपोज़र को किसी अन्य व्युत्पन्नी संविदा का उपयोग करके हेज न किया गया हो;
  - (iii) व्युत्पन्नी संविदा की नॉशनल और परिपक्ता काल एक्सपोजर के कीमत और परिपक्ता काल से अधिक न हो;
  - (iv) यदि एक्सपोजर पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है, तो उपयोगकर्ता ने उपरोक्त (iii) का पालन सुनिश्चित करने के लिए हेज को उचित रूप से समायोजित किया हो, जब तक कि मूल व्युत्पन्नी संविदा को किसी अन्य अनहेञ्च एक्सपोजर के विरूद्ध समनुदेशित नहीं किया जाता है। यदि प्राधिकृत व्यापारी की सुविचारित राय में, एक्सपोजर में परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, तो हेज में कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।
  - (v) ऐसे मामलों में जहां एक्सपोजर का मूल्य व्युत्पन्नी के नॉशनल से कम हो जाता है, नॉशनल को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए जब तक कि एक्सपोजर के बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण ऐसा विचलन न हुआ हो, ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता अपने विवेकानुसार व्युत्पन्नी संविदा को उसकी मूल परिपक्ता तक जारी रख सकता है। हेज में किसी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, यदि प्राधिकृत व्यापारी की राय में, एक्सपोजर में परिवर्तन भौतिक नहीं है;
  - (vi) जहां एक्सपोजर का मूल्य निश्चित रूप से सुनिश्चित करने योग्य नहीं है, व्युत्पन्नी संविदाएं उचित अनुमानित मूल्य के आधार पर बुक की जा सकती हैं। उपर्युक्त (iv) और (v) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अनुमानित मूल्यों की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।
- (ग) 100 मिलियन यूएस डॉलर की उपरोक्त सीमा से अधिक पॉजीशन लेने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज नामित प्राधिकृत व्यापारी / संरक्षक को दिन-अंत खुली स्थिति के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं की इंट्रा-डे उच्चतम स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
- (घ) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेंगे कि एक्सचेंजों पर प्रतिभागियों को एक्सचेंज ट्रेडिंग करेंसी डेरिवेटिव्स से जुड़े जोखिमों के बारे में पर्याप्त रूप से अवगत कराया जाए।

(ii) भारतीय रूपया से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं का मूल्य/प्रीमियम भारतीय रूपया में उद्धृत की जाएगी। यूरो-यूएस डॉलर और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड- यूएस डॉलर क्रॉस करेंसी संविदाओं का मूल्य/प्रीमियम यूएस डॉलर में उद्धृत किया जाएगा और यूएस डॉलर -जापानी येन संविदा जापानी येन में उद्धृत की जाएगी।

(iii) एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाएं, जिनमें भारतीय रूपया या अन्यथा शामिल हैं, भारतीय रूपया में नकद निपटान किए जाएंगे। भारतीय रूपया से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए निपटान मूल्य संविदा के अंतिम कारोबारी दिन फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) संदर्भ दर के अनुरूप होगी। भारतीय रूपया से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें उपलब्ध नहीं हैं और अन्य मुद्रा जोड़ो हेतु, निपटान मूल्य पर पहुंचने की पद्धति सेबी के अनुमोदन से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय किया जाएगा।

(iv) विदेशी मुद्रा ऑप्शन के लिए प्रीमियम, जिसमें भारतीय रूपया या अन्यथा शामिल है, एफबीआईएल संदर्भ दरों के आधार पर भारतीय रूपया में देय होगा। यदि तदनुरूपी एफबीआईएल संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है, तो देय राशि पर पहुंचने की पद्धति सेबी के अनुमोदन से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय किया जाएगा।

(v) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम के विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी खंड की व्यापार और समाशोधन सदस्यता अन्य खंडों की सदस्यता से भिन्न होगी और सेबी द्वारा जारी विनियमों/निदेशों के अधीन होगी।

(vi) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और प्राधिकृत व्यापारी, उपयोगकर्ताओं से ऐसे दस्तावेज की मांग कर सकते हैं जो वे इन निदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने हेतु आवश्यक समझते हैं।

(vii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत प्राधिकृत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम निर्दिष्ट प्रारूप और समय सीमा में ऐसे विवरणी, दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, वे अनुमत उत्पादों के कार्य से संबंधित किसी भी प्रमुख प्रगति जैसे कि बाजार के दुरुपयोग, बाजार व्यवधान, इसके कामकाज या नियामक कार्रवाई से संबंधित प्रतिकूल निष्कर्ष आदि की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक ([cgmfmrdrbi.org.in](mailto:cgmfmrdrbi.org.in) को ईमेल के माध्यम से) को प्रेषित करें।

(viii) रिज़र्व बैंक समय-समय पर प्रतिभागियों के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित कर सकता है, प्रतिभागी-वार स्थिति सीमाओं को संशोधित कर सकता है, चयनित प्रतिभागियों के लिए मार्जिन निर्धारित कर सकता है और/या विशिष्ट मार्जिन लगा सकता है, कोई अन्य विवेकपूर्ण सीमा तय या संशोधित कर सकता है, या भारत में वित्तीय

स्थिरता और विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव के हित में जनहित में आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य कार्य कर सकता है।

## खंड ॥

[हटा दिया गया]<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

## खंड III

### प्राधिकृत व्यापारी के लिए सुविधाएं

#### 1. बैंक की आस्ति – देयताओं का प्रबंध

उपयोगकर्ता – प्राधिकृत व्यापारी

प्रयोजन – विदेशी मुद्रा आस्ति – देयता पोर्टफोलियो की ब्याज़ दर और मुद्रा जोखिम की हेजिंग

उत्पाद – ब्याज दर स्वैप, ब्याज दर कैप / कॉलर, करेंसी स्वैप, फॉरवर्ड रेट करार। प्राधिकृत व्यापारी अपनी क्रास करेंसी स्वामित्व व्यापार पोजीशन को हेज करने के लिए कॉल या पुट आपशन का क्रय भी कर सकते हैं।

#### परिचालनात्मक दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें

इन लिखतों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(क) इस संबंध में उपयुक्त नीति उनके शीर्ष प्रबंध द्वारा अनुमोदित हो।

(ख) हेज का कीमत और उसकी परिपक्ता निहित से अधिक न हो।

(ग) कोई 'एकल आधार' पर लेनदेन शुरू नहीं किया जा सकता है। यदि हेज आंशिक या पूर्ण रूप से पोर्टफोलियो के संकुचन के कारण असुरक्षित (naked) हो जाती है, तो हेज मूल परिपक्ता तक जारी रखने की अनुमति दी जाए और नियमित अंतराल पर बाज़ार के अनुसार मूल्यांकित की जाए।

(घ) इन लेनदेनों से होने वाली निवल नकद आय, आय /व्यय के रूप में बुक की जाए तथा जहां कहीं लागू हो विदेशी मुद्रा स्थिति के रूप में परिगणित की जाए।

#### 2. स्वर्ण कीमतों की हेजिंग

#### उपयोगकर्ता –

- i. स्वर्ण जमा योजना के परिचालन हेतु रिझर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक
- ii. बैंक, जिन्हें बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्त पर भारत में फॉरवर्ड स्वर्ण संविदाएं करने के लिए अनुमति दी गयी है (अंतर बैंक स्वर्ण सौदों से उत्पन्न स्थिति सहित)

**प्रयोजन** – स्वर्ण की कीमत-जोखिम को हेज करना

**उत्पाद** – उपलब्ध समुद्रपारीय एक्सचेंज-ट्रेडेड और ओवर द काउंटर हेजिंग उत्पाद।

### **परिचालनात्मक दिशानिर्देश, नियम व शर्तें**

क) ऑप्शन वाले उत्पाद उपयोग करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्यक्ष या अंतर्निहित रूप से प्रीमियम की निवल प्राप्ति नहीं हो रही है।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्राधिकृत बैंकों को स्वर्ण में निहित बिक्री, खरीद और ऋण के लेनदेन के लिए अपने ग्राहकों (स्वर्ण उत्पादों के निर्यातकों, स्वर्णभूषण निर्माताओं, व्यापार गृहों, आदि ) के साथ फॉरवर्ड संविदा करने के लिए अनुमति है। इस प्रकार की संविदाओं की मियाद छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

### **3. पूंजी की हेजिंग**

**उपयोगकर्ता** – भारत में परिचालित विदेशी बैंक

**उत्पाद** – फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदाएं

### **परिचालनात्मक दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें**

क) टियर-1 पूंजी –

(i) भारत में स्थानीय विनियामक और सीआरएआर की अपेक्षाओं के लिए पूंजीगत निधियाँ उपलब्ध होनी चाहिए और इसलिए पूंजीगत निधियाँ नोस्ट्रो खाते में पार्क नहीं करनी चाहिए। हेजिंग से उपचित होने वाली विदेशी मुद्रा निधिया नोस्ट्रो खाते में जमा नहीं की जानी चाहिए बल्कि भारत में बैंकों के पास स्वैपयुक्त रहनी चाहिए।

ii) फॉरवर्ड संविदाएँ एक साल या उससे अधिक अवधि के लिए होनी चाहिए और परिपक्ता पर उन्हें आगे बढ़ाया (रोल-ओवर) जा सकता है। रद्द किए गए हेज की पुनः बुकिंग के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ख) टियर-II पूंजी –

i) [डीओबीडी परिपत्र संख्या आईबीएस.बीसी. 65/23.10.015/2001-02 दिनांक 14 फरवरी 2002](#) के अनुसार विदेशी बैंकों को हर समय स्वैप करके मुख्य कार्यालय उधार के रूप में सुबार्डिनेट डेट के तौर पर टीयर-II पूंजी को हेज करने की अनुमति है।

(ii) बैंकों को इनोवेटिव टियर-1 / टियर-II बॉड के संबंध में नियत दर रूपया देयताओं को फ्लोटिंग दर विदेशी मुद्रा देयताओं में परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा-आइएनआर स्वैप लेनदेन करने की अनुमति नहीं है।

4. [हटा दिया गया]<sup>3</sup>

5. [हटा दिया गया]<sup>4</sup>

## 6. ईटीसीडी बाजार में प्राधिकृत व्यापारी की सहभागिता

(क) प्राधिकृत व्यापारी एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित सीमाओं (जोखिम प्रबंध और बाजार की अखंडता को संरक्षित करने के लिए) के अधीन अपनी नेट ओपन पोजीशन सीमा (एनओपीएल) में सभी अनुमत एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा व्युत्पन्नी में व्यापार कर सकते हैं बशर्ते कि कोई भी एक्सचेंज ट्रेडेड एफसीवाई – आइएनआर और क्रॉस करेंसी का मिश्रण से निर्मित सिन्येटिक यूएसडी-आइएनआर स्थिति, एक्सचेंज द्वारा यूएसडी- आइएनआर संविदा के लिए निर्धारित सीमा में होगा।

(ख) प्राधिकृत व्यापारी, ईटीसीडी बाजार में अपनी स्थिति को ओटीसी व्युत्पन्नी बाजारों में अपनी स्थिति के विरूद्ध नेट/ऑफसेट कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए रिजर्व बैंक जब भी आवश्यक हो केवल ओटीसी बाजार के लिए एनओपीएल की एक उप-सीमा (उसके प्रतिशत के रूप में) निर्धारित कर सकता है।

<sup>5</sup>(ग) ईटीसीडी बाजार में भाग लेने के दौरान, एडी श्रेणी-। बैंक समय-समय पर संशोधित [मास्टर निदेश – भारतीय रिजर्व बैंक \(बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाएं\) दिशानिर्देश, 2016](#), दिनांक 26 मई 2016 का अनुपालन करेंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-॥ के रूप में प्राधिकृत एकल आधार प्राथमिक व्यापारी समय-समय पर संशोधित [मास्टर निदेश - स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर \(रिजर्व बैंक\) निदेश, 2016](#), दिनांक 23 अगस्त 2016 का अनुपालन करेंगे।

<sup>3</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 04 दिनांक 03 मई 2024

<sup>4</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 04 दिनांक 03 मई 2024

<sup>5</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 04 दिनांक 03 मई 2024

**भाग ख**

**[हटा दिया गया]⁶**

---

<sup>6</sup> संबंधित निर्देश दिनांक 01 जनवरी 2016 के समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निर्देश – जमा राशियां और खाते में समेकित किए गए हैं।

## **भाग-ग**

### **अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन**

#### **1. सामान्य**

प्राधिकृत व्यापारी के बोर्ड विभिन्न खजाना प्रचालनों के लिए यथोचित नीति बनाएं और समुचित सीमा निर्धारित करें।

#### **2. पोजीशन और गैप**

बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन के तुरंत बाद नेट ओवरनाइट ओपन एक्सचेंज पोजीशन (अनुबंध-I) और कुल गैप सीमा की सूचना रिझर्व बैंक को दी जानी चाहिए।

#### **3. अंतर-बैंक लेनदेन**

पैरा 1 और 2 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी निम्नानुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन मुक्त रूप से कर सकते हैं:

##### **क) भारत में प्राधिकृत व्यापारी के साथ:**

- (i) रुपये या किसी अन्य विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय/स्वैपिंग।
- (ii) विदेशी मुद्रा में जमा करना/स्वीकार करना और उधार लेना/उधार देना।

##### **ख). विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपतटीय बैंकिंग इकाइयों तथा समुद्रपारीय बैंकों के साथ**

- i) ग्राहक लेनदेनों को कवर करने के लिए या स्वयं की पोजीशन को समायोजित करने के लिए किसी अन्य विदेशी मुद्रा के विरुद्ध विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय/स्वैपिंग।
- ii) समुद्रपारीय बाजारों में व्यापारिक स्थितियां प्रारंभ करना।

#### **नोट :**

- क. अनिवासी बैंकों के खातों की निधीयन - कृपया भाग ख के पैराग्राफ 3 का संदर्भ लें।
- ख. अंतर बैंक बाजार में विक्रय के लिए फॉर्म ए 2 को पूर्ण किए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना आर विवरणियों में रिझर्व बैंक को दी जानी चाहिए।

#### **३ ए. गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं (एनडीडीसी) में लेनदेन**

आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक (जैसा कि दिनांक [1 अप्रैल, 2015](#) के परिपत्र सं आरबीआई/2014-15/533.डीबीआर.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्दिष्ट किया गया है) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – III के रूप में प्राधिकृत एकल प्राथमिक

<sup>7</sup> ए पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 23 दिनांक 27 मार्च, 2020

व्यापारी, आईबीयू वाले अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – ||| के रूप में प्राधिकृत एकल प्राथमिक व्यापारियों और विदेशों में बैंकों के साथ एनडीडीसी में लेन-देन कर सकते हैं। बैंक अपने आईबीयू के माध्यम से या भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से या अपनी समुद्रपारीय शाखाओं के माध्यम से (भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों के मामले में, मूल बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से) इस तरह के लेनदेन कर सकते हैं। इस तरह के लेनदेन को आईएनआर या किसी भी विदेशी मुद्रा में नकद-निपटान किया जा सकता है।

#### **4. विदेशी मुद्रा खाते/ समुद्रपारीय बाजारों में निवेश**

(i) विदेशी मुद्रा खातों में प्रवाह मुख्यतः ग्राहक संबंधित लेनदेनों, स्वैप सौदों, जमाराशियों, उधार आदि के कारण होते हैं। प्राधिकृत व्यापारी, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी मुद्राओं में राशियां रख सकते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित गैप सीमाओं के पालन की शर्त के अधीन वे इन खातों में बेशी को अपनी समुद्रपारीय शाखाओं/ प्रतिनिधियों के साथ ओवरनाइट प्लेसमेंट और निवेश के माध्यम से प्रबंधन कर सकते हैं।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक समुद्रपारीय बाजारों में निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश, समुद्रपारीय मुद्रा बाजार लिखतों तथा / या स्टैंडर्ड एंड पुअर / एफआईटीसीएच आईबीसीए के कम से कम AA (-) या मूडी के Aa3 रेटिंग वाले विदेशी राज्य द्वारा जारी एक वर्ष से कम परिपक्तता वाले ऋण लिखतों में किए जा सकते हैं। किसी विदेशी राज्य के मुद्रा बाजार लिखतों से इतर ऋण लिखतों में निवेश के प्रयोजन के लिए, जहां आवश्यक हो, प्राधिकृत व्यापारी के बोर्ड देश वार रेटिंग और देश वार सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं।

**नोट:** इस खंड के प्रयोजन के लिए मुद्रा बाजार लिखत में ऐसा कोई ऋण लिखत शामिल होगा जिसकी परिपक्तता खरीद की तारीख को एक वर्ष से अधिक न हो।

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक, अप्रयुक्त एफसीएनआर (बी) निधियों को समुद्रपारीय बाजारों में दीघावधि नियत आय प्रतिभूतियों में भी निवेश कर सकते हैं, बशर्ते निवेश की गई प्रतिभूतियों की परिपक्तता अंतर्निहित एफसीएनआर (बी) जमा की परिपक्तता से अधिक न हो।

(iv) नोस्ट्रो खातों में अधिशेषों का प्रतिनिधित्व करने वाली विदेशी मुद्रा निधियों का उपयोग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक निम्न के लिए कर सकते हैं:

क) निवासी घटकों को उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या उन निर्यातकों/कॉर्पोरेट्स की रूपया कार्यशील पूंजी/पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए ऋण देना जिनके पास विवेकपूर्ण/ब्याज दर मानदंडों, ऋण अनुशासन और लागू ऋण निगरानी दिशानिर्देशों के अधीन विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए एक प्राकृतिक बचाव या जोखिम प्रबंधन नीति है।

ख) रिज़र्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन, विदेशों में भारतीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों जिनकी कम से कम 51 प्रतिशत इकिटी एक निवासी कंपनी के पास हो, को ऋण सुविधाएं प्रदान करना।

(v) प्राधिकृत व्यापारी, बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार दावा न किए गए शेष खाते, असमाशोधित डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियों को बट्टे खाते में डाल सकते हैं/अंतरित कर सकते हैं।

## 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों द्वारा ऋण/ओवरड्राफ्ट

क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंकों के समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार की सभी श्रेणियां, (नीचे (ग) पर उल्लिखित उधार श्रेणियों के अलावा), मौजूदा बाहरी वाणिज्यिक उधार और उनके प्रधान कार्यालय, समुद्रपारीय शाखाओं और भारत के बाहर प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय / बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से ऋण / ओवरड्राफ्ट सहित [कृपा नीचे (ङ) देखें] या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमति के अनुसार कोई अन्य संस्था और नोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट (पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं), नीचे (च) में निर्धारित शर्तों के अधीन, उनकी अप्रभावित टीयर । पूंजी या 10 मिलियन अमरीकी डालर (या इसके समतुल्य) जो भी अधिक हो, के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। पूर्वोक्त सीमा भारत में सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा विदेशों में स्थित उनकी सभी शाखाओं/प्रतिवादियों से प्राप्त की गई कुल राशि पर लागू होती है और इसमें घरेलू स्वर्ण ऋणों के वित्तपोषण के लिए सोने में समुद्रपारीय उधार भी शामिल है ([दिनांक 5 सितंबर 2005 के cf. डीबीओडी परिपत्र संख्या आईबीडी.बीसी. 33/ 23.67.001/2005-06](#))। यदि उपरोक्त सीमा से अधिक निकासी पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं की जाती है, तो एक रिपोर्ट, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को उस महीने की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें सीमा पार हो गई थी। यदि वैल्यू डेटिंग के लिए व्यवस्था मौजूद है तो ऐसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।

ख) इस प्रकार जुटाई गई निधियों का उपयोग भारत में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और रिजर्व बैंक को संदर्भित किए बिना चुकाया जा सकता है। इस नियम के अपवाद के रूप में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंकों को [आईईसीडी परिपत्र संख्या 12/04.02.02/2002-03 दिनांक 31 जनवरी, 2003](#) के अनुसार निर्यात ऋण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए स्वैप के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा निधियों के साथ-साथ उधार ली गई निधियों का उपयोग करने की अनुमति है। इस सीमा से ऊपर की कोई भी नई उधारी केवल रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से ही की जाएगी। नए ईसीबी के लिए आवेदन वर्तमान ईसीबी नीति के अनुसार किए जाने चाहिए।

ग) निम्नलिखित उधार, टियर । पूंजी के 100 प्रतिशत की अप्रभावित सीमा या 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (या इसके समतुल्य), जो भी अधिक हो, की सीमा से बाहर बने रहेंगे:

- i) 2 जुलाई 2015 के 'रूपया /विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा' पर डी.बी.ओ.डी के मास्टर परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन निर्यात ऋण के वित्तपोषण के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंकों द्वारा समुद्रपारिय ऋण।
- ii) टियर II पूँजी के रूप में भारत में अपनी शाखाओं के साथ विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा रखा गया गौण ऋण।
- iii) परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/21.01.002/2005-06 दिनांक 25 जनवरी 2006, डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.23/21.01.002/2006-07 दिनांक 21 जुलाई 2006 के संदर्भ में, विदेशी मुद्रा में, बेमियादी कर्ज लिखत और ऋण पूँजी लिखतों के जारी होने से जुटाई/बढ़ाई गई पूँजीगत निधियां तथा बेमियादी कर्ज लिखत और 2 मई 2012 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.98/21.06.201/2011-12 के अनुसार विदेशी मुद्रा में जारी बेमियादी कर्ज लिखत तथा ऋण पूँजी लिखत।
- iv) रिझर्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के साथ कोई अन्य समुद्रपारिय ऋण।

घ) रिझर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऋण/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज (करों को घटाकर) प्रेषित किया जा सकता है।  
 झ) <sup>8</sup> प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक केवल उन अंतरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से उधार ले सकते हैं जिनमें भारत सरकार एक शेयरधारक सदस्य है या जो एक से अधिक सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं या एक से अधिक सरकार और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा शेयरधारिता रखते हैं।

च) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों की अक्षत टियर I पूँजी के 50 प्रतिशत से अधिक के ऋण, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

- (i) बैंक के पास समुद्रपारिय ऋणों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को शामिल किया जाएगा, जिसका पालन बैंक विदेश में विदेशी मुद्रा में ऋण लेते समय करेगा।
- (ii) बैंक को 12.0 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखना चाहिए।
- (iii) मौजूदा सीमा से अधिक ऋण तीन वर्ष की न्यूनतम परिपक्तता के साथ होंगे।
- (iv) अन्य सभी मौजूदा मानदंड (फेमा विनियमन, एनओपीएल मानदंड, आदि) लागू रहेंगे।

---

<sup>8</sup> ए पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 112 दिनांक 25 जून, 2015

## **९५ ए. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-III के रूप में प्राधिकृत एकल आधार प्राथमिक व्यापारीयों द्वारा विदेशी विदेशी मुद्रा ऋण**

- क) एकल आधार प्राथमिक व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति के अनुसार भारत के बाहर अपने मूल इकाई या प्रतिनिधि या किसी अन्य इकाई से विदेशी मुद्रा में ऋण और नोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट (पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं), केवल परिचालन कारणों से ले सकते हैं। इस तरह के ऋण समय-समय पर संशोधित [मास्टर निदेश - स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर \(रिजर्व बैंक\) निदेश, 2016, दिनांक 23 अगस्त 2016](#) में निर्धारित विदेशी मुद्रा ऋण की सीमा के भीतर होंगे।
- ख) यदि उपरोक्त सीमा से अधिक निकासी को पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं किया जाता है, तो एक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, ९वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को, उस महीने की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर जिसमें सीमा पार हो गई थी, प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि वैल्यू डेटिंग की व्यवस्था मौजूद है तो ऐसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।

## **१०. ऑनशोर बाजार समय के बाद भी ग्राहक और अंतर बैंक संव्यवहार**

प्राधिकृत व्यापारियों को ग्राहक (भारत में निवासी व्यक्तियों और भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों) और अंतर-बैंक संव्यवहारों को ऑनशोर बाजार समय के बाद भी करने की अनुमति दी जाती है। अपनी विदेशी शाखाओं और सहायक इकाइयों के माध्यम से भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के साथ भी ऑनशोर बाजार समय के बाद संव्यवहार किए जा सकते हैं।

<sup>९</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रूखला) परिपत्र संख्या 04 दिनांक 03 मई 2024

<sup>10</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रूखला) परिपत्र संख्या 15 दिनांक 06 जनवरी 2020

**भाग-घ**

[हटा दिया गया].<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

## भाग ड

### क. रिजर्व बैंक को रिपोर्टें

- i) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी के प्रधान/प्रधान कार्यालय को अनुबंध-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से फॉर्म एफटीडी में विदेशी मुद्राआवर्त (टर्नओवर) और फॉर्म जीपीबी में गैप, पोजीशन और नकद शेष राशि का दैनिक विवरण अगले कार्य दिवस को प्रस्तुत करना चाहिए।
- ii) [हटा दिया गया]<sup>12</sup>
- iii) [हटा दिया गया]<sup>13</sup>
- iv) प्राधिकृत व्यापारी प्रत्येक तिमाही के अंत में विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर के ब्यौरे अनुबंध-V में दिए गए प्रारूप के अनुसार सीआईएमएस के माध्यम से तिमाही के बाद के माह की 30 तारीख तक अग्रेषित करें। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी कॉर्पोरेट ग्राहकों के जोखिम का विवरण रिपोर्ट में शामिल किया जाना है। प्राधिकृत व्यापारी को यह रिपोर्ट अपने बहियों के आधार पर प्रस्तुत करनी चाहिए, न कि कॉर्पोरेट विवरणियों के आधार पर।
- v) प्राधिकृत व्यापारी, अनुबंध-VIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार साप्ताहिक आधार पर किए गए ऑप्शन लेनदेन (FCY-INR) का विवरण सीआईएमएस/[fmrdfx@rbi.org.in](mailto:fmrdfx@rbi.org.in) के माध्यम से अगले सप्ताह के पहले कार्य दिवस को अग्रेषित करें।
- vi) प्राधिकृत व्यापारी को अनुबंध-IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार हर महीने के अंतिम कार्य दिवस को सभी श्रेणियों के तहत अपने कुल बकाया विदेशी मुद्रा उधार की सूचना, अगले माह की 10 तारीख तक सीआईएमएस के माध्यम से देनी होगी।
- vii) [हटा दिया गया]<sup>14</sup>
- viii) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी के प्रधान/प्रधान कार्यालय वेब पोर्टल पर <https://bop.rbi.org.in> के माध्यम से अनुबंध-III<sup>15</sup> में दए गए फॉर्मट के अनुसार पाक्षिक आधार पर रिपोर्टिंग अवधि, जिससे यह संबंधित है, की समाप्ति

<sup>12</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 3 दिनांक 10 अगस्त, 2017

<sup>13</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

<sup>14</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

<sup>15</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 3 दिनांक 10 अगस्त, 2017

से सात कैलेंडर दिनों के भीतर सभी विदेशी मुद्राओं की अपनी धारिता का विवरण देते हुए फार्म बीएल में एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

ix) [हटा दिया गया]<sup>16</sup>

x) [हटा दिया गया]<sup>17</sup>

xi) [हटा दिया गया]<sup>18</sup>

xii) [हटा दिया गया]<sup>19</sup>

xiii) प्राधिकृत व्यापारियों को तिमाही आधार पर अनुबंध XX में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार, योजना के तहत गैर-निवासियों द्वारा हेज लेनदेन और/या अंतर्निहित व्यापार लेनदेन को बार-बार रद्द करने वाले संदिग्ध लेनदेन को तिमाही के बाद के माह की 10 तारीख तक सीआईएमएस के माध्यम से रिपोर्ट करनी होगी।

#### .<sup>20</sup>ख. ट्रेड रीपॉजिटरी को रिपोर्ट करना

(i) प्राधिकृत व्यापारियों को उन सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं की रिपोर्ट निम्नलिखित समयसीमा के अनुसार क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के ट्रेड रीपॉजिटरी (टीआर) को करनी चाहिए, जो उनके द्वारा सीधे या उनकी विदेशी संस्थाओं<sup>21</sup> (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यमों सहित) के माध्यम से किए गए हैं:

(क) भारतीय रूपये से जुड़े अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (मुद्रा स्वैच और संरचित व्युत्पन्नी को छोड़कर) को घंटे के पूरा होने से 30 मिनट के भीतर प्रति घंटे के बैच में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। सीसीआईएल के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को दिन के लिए बंद करने से 30 मिनट पहले और उसके बाद

<sup>16</sup> [ए.पी. \(डीआईआर श्रूखला\) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020](#)

<sup>17</sup> संबंधित निर्देश दिनांक 01 जनवरी 2016 के समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निर्देश – जमा राशियां और खाते में समेकित किए गए हैं।

<sup>18</sup> [ए.पी. \(डीआईआर श्रूखला\) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020](#)

<sup>19</sup> [ए.पी. \(डीआईआर श्रूखला\) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020](#)

<sup>20</sup> [ए.पी. \(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र संख्या 04, दिनांक 03 मई 2024](#)

<sup>21</sup> भारत में संचालित होने वाले विदेशी बैंकों के मामले में, मूल बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से।

सीसीआईएल के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को दिन के लिए बंद करने के बाद निष्पादित ऐसी संविदाओं की सूचना अगले कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक दी जानी चाहिए;

(ख) किसी भी दिन शाम 5 बजे तक निष्पादित अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा जिनमें आईएनआर (मुद्रा स्वैप और संरचित व्युत्पन्नी को छोड़कर) शामिल नहीं है, की सूचना उस दिन शाम 05:30 बजे तक दी जानी चाहिए। शाम 5 बजे के बाद निष्पादित ऐसी संविदाओं की सूचना अगले कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक दी जानी चाहिए;

(ग) किसी भी दिन शाम 5 बजे तक निष्पादित अंतर-बैंक मुद्रा स्वैप, संरचित व्युत्पन्नी और विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं को उस दिन के लिए सीसीआईएल के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के बंद होने से पहले रिपोर्ट किया जाना चाहिए। शाम 5 बजे के बाद निष्पादित ऐसी संविदाओं की सूचना अगले कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक दी जानी चाहिए; और

(घ) ग्राहकों के साथ निष्पादित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं की सूचना अगले कारोबारी दिन दोपहर 12 बजे से पहले दी जानी चाहिए।

नोट: (क) (ख) और (ग) के प्रयोजन के लिए, संरचित व्युत्पन्नी का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव में मार्केट मेकर्स) निदेश, 2021, दिनांक 16 सितंबर, 2021 में दिया गया है।

(ii) 'बैंक-टू-बैंक' व्यवस्था के तहत, अनिवासी ग्राहक के विवरण सहित व्यापार विवरण टीआर को सूचित किया जाना चाहिए।

(iii) टीआर में विदेशी समकक्षों और ग्राहक लेनदेन के साथ मिलान लेनदेन की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि विदेशी समकक्षों और ग्राहकों को लेनदेन विवरण की रिपोर्ट/पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकृत व्यापारी रिपोर्ट किए गए लेनदेन के संबंध में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(iv) प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बहियों और टीआर के बीच बकाया राशि का निरंतर आधार पर समाधान किया जाए।

(v) रिपोर्टिंग प्रारूप रिज़र्व बैंक की पूर्व मंजूरी के साथ सीसीआईएल द्वारा बताए अनुसार होंगे।

[भाग ग, पैराग्राफ 2 देखें]

**क. प्राधिकृत व्यापारी की विदेशी मुद्रा जोखिम सीमा के लिए दिशानिर्देश**  
प्राधिकृत व्यापारियों की विदेशी मुद्रा जोखिम सीमा दोहरी प्रकृति की होगी।

- i. विदेशी मुद्रा जोखिम पर पूँजी प्रभार की गणना के लिए नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल)।
- ii. विनिमय दर प्रबंधन के लिए मुद्राओं (एनओपी-आईएनआर) में से एक के रूप में रूपये को शामिल करने वाले पोजिशन लिमिट

भारत में निगमित बैंकों के लिए, बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सीमा उनकी समुद्रपारीय शाखाओं और अपतटीय बैंकिंग इकाइयों सहित सभी शाखाओं का कुल योग होना चाहिए। विदेशी बैंकों के लिए, सीमाएं केवल भारत में उनकी शाखाओं को कवर करेंगी।

- i. विदेशी मुद्रा जोखिम पर पूँजी प्रभार की गणना हेतु नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल)।

एनओओपीएल को प्राधिकृत व्यापारी संबंधित बैंकों के बोर्डों द्वारा तय किया जाना चाहिए और तुरंत रिजर्व बैंक को सीआईएमएस/ fmrdfx@rbi.org.in के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसी सीमाएं प्राधिकृत व्यापारी की कुल पूँजी (टियर । और टियर ॥ पूँजी) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नेट ओपन पोजीशन की गणना नीचे दी गई विधि के अनुसार की जा सकती है:

### 1. एकल मुद्रा में नेट ओपन पोजीशन की गणना

प्रत्येक विदेशी मुद्रा के लिए ओपन पोजीशन को अलग से मापा जाना चाहिए। किसी करेंसी में ओपन पोजीशन (क) नेट स्पॉट पोजीशन, (ख) नेट फॉरवर्ड पोजीशन और (ग) नेट ऑप्षंस पोजीशन का योग है।

#### क) नेट स्पॉट स्थिति

नेट स्पॉट पोजीशन बैलेंस शीट में विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर है। इसमें सभी उपार्जित आय/व्यय शामिल होना चाहिए।

#### ख) नेट फॉरवर्ड स्थिति

यह विदेशी मुद्रा लेनदेन, जो संपन्न हो गए है के परिणामस्वरूप भविष्य में भुगतान की जाने वाली सभी राशियों को घटाकर प्राप्त की जाने वाली सभी राशियों का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है। ये लेन-देन, जो प्राधिकृत व्यापारी की पुस्तकों में तुलन-पत्र से इतर मदों के रूप में दर्ज हैं, में शामिल होंगे:

- i) स्पॉट लेनदेन जो अभी तक तय नहीं हुए हैं;
- ii) फॉरवर्ड लेनदेन;
- iii) विदेशी मुद्राओं में गारंटी और उसी प्रकार प्रतिबद्धताएँ जिनका कॉल किया जाना निश्चित है ;
- iv) नेट फ्यूचर आय / व्यय जो अभी उपचित नहीं हुई है लेकिन पूरी तरह से हेज है (रिपोर्टिंग बैंक के विवेकधिकार पर);
- v) करेंसी फ्यूचर के संबंध में प्राप्त/ दत्त राशियों का नेट , और करेंसी फ्यूचर/ स्वैप पर मूल ।

### ग) नेट ऑप्शंस स्थिति

ऑप्शंस पोजीशन "डेल्टा-समतुल्य" स्पॉट करेंसी पोजीशन है जैसा कि प्राधिकृत व्यापारी के ऑप्शंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में परिलक्षित होता है, और इसमें वो डेल्टा हेजेज भी शामिल होंगे जो पहले से ही ऊपर 1(क) या 1(ख) (i) और (ii) के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।

## 2. समग्र नेट ओपन स्थिति की गणना

इसमें विभिन्न मुद्राओं में प्राधिकृत व्यापारी की दीर्घ और लघु स्थिति के मिश्रण में निहित जोखिमों का माप शामिल है। इसमें "शॉर्टहैंड विधि" अपनाने का निर्णय लिया गया है जिसे समग्र निवल ऑपन ऑप्शन पर पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। इसलिए, प्राधिकृत व्यापारी समग्र निवल ऑपन ऑप्शन की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं:

- i. प्रत्येक मुद्रा में निवल ओपन पोजीशन की गणना करें (ऊपर पैरा 1)।
- ii. स्वर्ण में नेट ओपन पोजीशन की गणना करें।
- iii. मोजूदा भा.रि.बैंक/फेडाई(विदेशी मुद्रा व्यापारी संधि) के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न मुद्राओं में निवल स्थिति और स्वर्ण को रूपये में परिवर्तित करें। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स सहित सभी डेरिवेटिव लेनदेन को वर्तमान कीमत (पीवी) समायोजन के आधार पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
- iv. सभी नेट शॉर्ट पोजीशन का योग।
- v. सभी नेट लॉन्ग पोजीशन का योग।

समग्र निवल विदेशी मुद्रा स्थिति (iv) या (v) में से उच्चतर है। ऊपर बताए गए कुल निवल विदेशी मुद्रा की स्थिति को प्राधिकृत व्यापारी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए।

**नोट:** प्राधिकृत व्यापारी को निवल खुली स्थिति की गणना के उद्देश्य से पीवी समायोजन के आधार पर फॉरवर्ड विनिमय संविदा सहित सभी डेरिवेटिव लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी पीवी समायोजन के

उद्देश्य से अपने स्वयं के प्रतिफल वक्र का चयन कर सकते हैं। हालांकि, प्राधिकृत व्यापारी के पास उपयोग किए जाने वाले प्रतिफल वक्र/(ओं) के संबंध में अपने एल्कों(आस्ति देयता प्रबंध समिति) द्वारा अनुमोदित एक आंतरिक नीति होनी चाहिए और इसे निरंतर आधार पर लागू करना चाहिए।

### 3. अपतटीय जोखिम

समुद्रपारीय उपस्थिति वाले बैंकों के लिए, अपतटीय जोखिमों की गणना उपरोक्त पद्धति के अनुसार स्टैंडअलोन आधार पर की जानी चाहिए और इसे तटवर्ती जोखिमों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कुल सीमा (ऑन-शोर + ऑफ-शोर) को नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन (एनओओपी) कहा जा सकता है और पूंजी प्रभार के अधीन होगा। ओपेन स्थिति की गणना के लिए विदेशी शाखाओं के संचित अधिशेष की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण इस प्रकार है:

यदि किसी बैंक की तीन विदेशी शाखाएं हैं और तीनों शाखाओं की ओपेन पोजीशन निम्नानुसार है-

शाखा ए: + 15 करोड़ रुपये

शाखा बी: + 5 करोड़ रुपये

ब्रांच सी:- 12 करोड़ रुपये

समुद्रपारीय शाखाओं के लिए कुल मिलाकर ओपन पोजीशन 20 करोड़ रुपए होगी।

### 4. पूंजी आवश्यकता

जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है

### 5. अन्य दिशानिर्देश

i. प्राधिकृत व्यापारियों की एल्को/आंतरिक लेखापरीक्षा समिति को सीमा के उपयोग और पालन की निगरानी करनी चाहिए।

ii. प्राधिकृत व्यापारियों के पास रिजर्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित एनओओपी के विभिन्न घटकों को, जब भी आवश्यक हो, प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए।

iii. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा कारोबारी दिन के अंत तक किए गए लेन-देन की गणना विदेशी मुद्रा एक्सपोजर सीमा की गणना के लिए की जा सकती है। कारोबारी दिन की समाप्ति के बाद किए गए लेन-देन को अगले दिन की स्थिति में लिया जा सकता है। इओडी का समय प्राधिकृत व्यापारी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

ii. विनिमय दर प्रबंधन के लिए मुद्राओं में से एक मुद्रा (एनओपी-आईएनआर) के रूप में रूपये को शामिल करने वाले पदों की सीमा

क. बाजार की स्थितियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक पर प्राधिकृत व्यापारियों के लिए एनओपी-आईएनआर निर्धारित किया जा सकता है।

ख. एनओपी-आईएनआर पोजीशन की गणना लॉन्ग और शॉर्ट ऑनशोर पोजीशन (शॉर्ट हैंड मेथड द्वारा प्राप्त) और विदेशी शाखाओं की नेट आईएनआर पोजीशन को घटाकर की जा सकती है।

ग. एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले करेंसी फ्यूचर्स/ऑप्शंस में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा की गई पोजिशन एनओपी-आईएनआर का हिस्सा बनेगी।

घ. ऑप्शन पॉजीशन के संबंध में, उत्तर-चढ़ाव वाले बाजार बंद/पुनर्मूल्यांकन के दौरान बड़े ऑप्शन ग्रीक्स के कारण किसी भी तरह की अधिकता को तकनीकी उल्लंघन माना जा सकता है। हालांकि, ऐसे उल्लंघनों की निगरानी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा उचित ऑडिट ट्रैल के साथ की जानी चाहिए। ऐसे उल्लंघनों को भी नियमित किया जाना चाहिए और उपयुक्त अधिकारियों (एल्को / आंतरिक लेखापरीक्षा समिति) द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

#### **ख. कुल गैप सीमा (एजीएल)**

i. संबंधित प्राधिकृत व्यापारी के बोर्ड द्वारा गैप सीमा (एजीएल) निर्धारित की जा सकती है और तत्काल इसकी सूचना रिजर्व बैंक को सीआईएमएस/ fmrdfx@rbi.org.in के माध्यम से दी जाएगी। हालांकि, ऐसी सीमाएं प्राधिकृत व्यापारी की कुल पूँजी (टियर 1 और टियर 2 पूँजी) के 6 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. तथापि, प्राधिकृत व्यापारी जिन्होंने कुल विदेशी मुद्रा अंतर जोखिमों के लिए अवधिवार पीवी01 सीमा और वीएआर जैसे बेहतर उपाय किए हैं, उन्हे एजीएल के स्थान पर अपनी पूँजी, जोखिम वहन क्षमता आदि के आधार पर अपनी पीवी01 और वीएआर सीमा तय करने की अनुमति है। इसकी सूचना रिजर्व बैंक को दें। सीमा की प्रक्रिया और गणना को आंतरिक नीति के रूप में स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

[भाग ड, पैराग्राफ क (i) देखें]

### विदेशी मुद्रा टर्नओवर डाटा की रिपोर्टिंग - एफटीडी और जीपीबी

एफटीडी और जीपीबी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और फॉर्मट नीचे दिए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी सुनिश्चित करें कि इन दिशानिर्देशों के आधार पर रिपोर्टें उचित रूप से संकलित किए जाएः एक खास तारीख के आंकड़े कारोबार की समाप्ति के अगले कार्य दिवस तक हमारे पास पहुँच जाने चाहिए।

#### **एफटीडी**

1. स्पॉट- नकदी और टॉम लेनदेनों को 'स्पॉट' लेनदेनों में शामिल किया जाए ।
2. स्वैप- स्वैप लेनदेनों के तहत प्राधिकृत व्यापारी के बीच हुए विदेशी मुद्रा स्वैप की रिपोर्टिंग की जाए। दीर्घावधि स्वैप (क्रॉस करेंसी और विदेशी मुद्रा-रूपया स्वैप दोनों) को इस रिपोर्ट में शामिल न किया जाए। स्वैप लेनदेनों की रिपोर्टिंग केवल एक बार की जाए तथा 'स्पॉट' अथवा 'फॉरवर्ड' लेनदेनों के तहत इसे शामिल न किया जाए। खरीद/बिक्री स्वैप को 'स्वैप' के तहत 'खरीद' पक्ष में शामिल किया जाए जबकि बिक्री/खरीद स्वैप को 'बिक्री' की तरफ दर्शाया जाए।
3. फॉरवर्ड संविदा को रद्द करना - व्यापारियों से खरीद पर फॉरवर्ड संविदाओं के रद्द होने के तहत रिपोर्ट की जाने वाली राशि, प्राधिकृत व्यापारी द्वारा रद्द किए गए फॉरवर्ड व्यापारी बिक्री संविदा का सकल हो(बाज़ार में आपूर्ति को जोड़कर)। बिक्री की तरफ रद्द फॉरवर्ड संविदाओं की खरीद संविदाओं के सकल को दर्शाया जाए (बाजार में मांग को जोड़कर)।
4. 'एफसीवाई/एफसीवाई' लेनदेन - लेनदेन के दोनों चरणों को अपने-अपने कॉलम में रिपोर्ट जाए। उदाहरण के लिए ईयूआर/यूएसडी खरीद संविदा में ईयूआर राशि को खरीद की तरफ शामिल किया जाए जबकि यूएसडी राशि को बिक्री की तरफ शामिल किया जाए।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन को अंतर बैंक लेनदेनों में शामिल किया जाए। विदेशी मुद्रा कारोबार करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी से इतर वित्तीय संस्थानों के साथ लेनदेनों को व्यापारी लेनदेनों में शामिल किया जाए।

#### **जीपीबी**

1. विदेशी मुद्रा शेष – सभी विदेशी मुद्रा नकद शेष और निवेशों को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाए और इस शीर्ष के तहत रिपोर्ट किया जाए।

2. निवल जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति- यह करोड़ रूपये में प्राधिकृत व्यापारी के समग्र एक दिवसीय की निवल जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति दर्शाए। निवल एक दिवसीय जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति का आकलन अनुबंध। में दिए गए अनुदेशों के आधार पर किया जाए।
3. उपर्युक्त एफसीवाई/आईएनआर का - राशि को रूपए के सामने दर्ज किया जाए अर्थात् निवल एक दिवसीय जोखिम विदेशी मुद्रा में से क्रॉस करेंसी पोजिशन, यदि कोई हो तो उसे घटाएं।

### एफटीडी और जीपीबी विवरणों के प्रारूप

#### एफटीडी

दिनांक ..... को विदेशी मुद्रा का दैनिक टर्नओवर को दर्शाने वाला विवरण

|                     |                 | व्यापारी                            |         |                     | अंतर बैंक |       |         |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-------|---------|
|                     |                 | स्पॉट, कैश,<br>रेडी, टी.टी.<br>आदि। | फॉरवर्ड | फॉरवर्ड का<br>निरसन | स्पॉट     | स्वैप | फॉरवर्ड |
| एफसीवाई/<br>आईएनआर  | से खरीदा<br>गया |                                     |         |                     |           |       |         |
|                     | को बेचा<br>गया  |                                     |         |                     |           |       |         |
| एफसीवाई/<br>एफसीवाई | से खरीदा<br>गया |                                     |         |                     |           |       |         |
|                     | को बेचा<br>गया  |                                     |         |                     |           |       |         |

#### जीपीबी

..... को गैप, पोजीशन और नकद शेष को दर्शाने वाला विवरण

|  |   |   |
|--|---|---|
| विदेशी मुद्रा शेष<br><br>(नकद शेष + सभी निवेश) | : | मिलियन अमेरिकी डॉलर में                 |
| नेट ओपन एक्सचेंज पोजीशन (रु.)                  | : | भारतीय रूपये करोड़ में ओ/बी(+)/ओ/एस (-) |
| उपरोक्त एफसीवाई/आईएनआर में से                  | : | करोड़ रूपये में                         |
| एजीएल रखा गया (मिलियन अमेरिकी डॉलर में):       | : | वीएआर रखा गया (भारतीय रूपये में):       |

विदेशी मुद्रा परिपक्ता असंतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

| I माह | II माह | III माह | IV माह | V माह | VI माह | > VI माह |
|-------|--------|---------|--------|-------|--------|----------|
|       |        |         |        |       |        |          |

## बैंक की आस्ति देयता (बीएएल) का विवरण

## बैंकिंग परिसंपत्ति देयता (बीएएल) विवरण

दिनांक \_\_\_\_\_ के अंत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशों में रखी गई विदेशी मुद्रा और समुद्रपारीय शाखाओं और प्रतिनिधियों के अनिवासी रूपये/एसीयू डॉलर खातों में रखी शेष राशि

| एडी कोड   |        | एडी का नाम  |                   |             |              |    |     |       |
|---|--------|-------------|-------------------|-------------|--------------|----|-----|-------|
| रिपोर्ट दिनांक  |        | मूल/संशोधित |                   |             |              |    |     |       |
| <b>विदेशों में रखी गई विदेशी मुद्रा शेष राशि</b>                                      |        |             |                   |             |              |    |     |       |
| देश   | मुद्रा | चालू खाता*  | मियादी जमाराशियां | ट्रेजरी बिल | प्रतिभूतियां | ऋण | कुल |       |
|   |        | सीटी (1)    | Dt (2)            | 3           | 4            | 5  | 6   | (1-6) |
| <b>अनिवासी खातों में समुद्रपारीय शाखाओं और प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई शेष राशि **</b> |        |             |                   |             |              |    |     |       |
| देश   | मुद्रा | सीटी (8)    | Dt (9)            |             |              |    |     |       |

\* कॉलम 1 या 2 में यथोचित निवल शेषराशि रिपोर्ट की जाएँ

\*\* कॉलम 8 या 9 में यथोचित निवल शेषराशि रिपोर्ट की जाएँ

**बीएएल वक्तव्य ज्ञापन**

| एडी कोड        |               | एडी का नाम  |                 |         |                 |      |                 |      |
|----------------|---------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|------|-----------------|------|
| रिपोर्ट दिनांक |               | मूल/संशोधित |                 |         |                 |      |                 |      |
| क्र.सं.        | मुद्रा का नाम | ईईएफसी      | आरएफसी          | एस्क्रौ | अन्य            |      |                 |      |
|                |               | राशि        | खातों की संख्या | राशि    | खातों की संख्या | राशि | खातों की संख्या | राशि |

[हटा दिया गया]<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

| 23दिनांक ..... को विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से संबंधित जानकारी <sup>22</sup> |                  |           |   |                |                      |                |                |  |                |                    |  |
|---|------------------|-----------|---|----------------|----------------------|----------------|----------------|--|----------------|--------------------|--|
| क्र म सं.   | प्रयोक्ता का नाम | एलईआई कोड | ए. एक्सपोजर और संविदागत एक्सपोजर पर आधारित हेज (मिलियन अमरीकी डॉलर में) |                |                      |                |                | बी. अनुमानित एक्सपोजर पर आधारित हेज (मिलियन अमरीकी डॉलर में) |                |                    | सी. रूपया देयता पर आधारित भारतीय रूपया /एफसीवाई स्वैप (मिलियन अमरीकी डॉलर में) |
|   |                  |           | व्यापार से संबंधित  |                |                      |                |                | गैर-व्यापार  |                | व्यापार से संबंधित |  |
|   |                  |           | निर्यात   | आयात           | अल्पावधि वित्त बकाया | एक्सपोजर       | हेज की गई राशि | निर्यात  | आयात           | गैर-व्यापार        |  |
|   |                  |           | एक्सपोजर  | हेज की गई राशि | एक्सपोजर             | हेज की गई राशि | एक्सपोजर       | हेज की गई राशि   | हेज की गई राशि | हेज की गई राशि     |  |
|   |                  |           |   |                |                      |                |                |  |                |                    |  |

#### प्राधिकृत व्यापारियों के लिए टिप्पणियाँ:

- ए) डेटा एडी की बहियों के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए न कि उपयोगकर्ता के रिटर्न के आधार पर।
- बी) स्थापित एल/सी/एलसी के तहत समाप्त किया जाने वाले बिलों/बकाया आयात संग्रह बिलों को शामिल किया जाना है।
- सी) खरीदे गए/छूट दिए गए/सौदा किए गए निर्यात बिल शामिल नहीं किए जाएंगे।
- डी) एडी/पीसीएफसी द्वारा अनुमोदित ट्रेड क्रेडिट (खरीदार क्रेडिट/आपूर्तिकर्ता का क्रेडिट) को अल्पावधि वित्त में शामिल होंगे।
- इ) गैर-व्यापार एक्सपोज़र में ईसीबी, एडी/एफसीएनआर (बी) ऋण आदि द्वारा किए जाने वाले एफसीसीबी मामले शामिल होंगे।
- एफ) एक खेप (लेग) के रूप में रूपये वाले सभी हेजेज रिपोर्ट की जाएगी।
- जी) विकल्प संरचनाओं के मामले में, उच्चतम अनुमानित राशि वाले व्यापार रिपोर्ट किए जाएंगे।
- एच) उपयोगकर्ता-वार डेटा जहां एक्सपोज़र या हेजेज (अनुबंधित या प्रत्याशित एक्सपोज़र के आधार पर) 25 मिलियन अमरीकी डालर या समकक्ष से ऊपर हैं, रिपोर्ट की जाएगी।
- जे) भाग सी में, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के समतुल्य रूपए की देनदारी पर आधारित आईएनआर/एफसीवाई मुद्रा स्वैप रिपोर्ट की जाएगी।

<sup>23</sup> ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 04 दिनांक 03 मई 2024

[हटा दिया गया]<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रूखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

## अनुबंध VII

[हटा दिया गया]<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रूखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

## अनुबंध VIII

[भाग ड़, पैराग्राफ क (v) देखें]

**एफसीवाई/रूपया ऑप्शन लेनदेन**

[..... को समाप्त सप्ताह के लिए]

### क. ऑप्शन लेनदेन रिपोर्ट

| क्रम सं. | व्यापार तारीख | ग्राहक/ सी पार्टी का नाम | नॉशनल | क्रय/विक्रय ऑप्शन | स्ट्राइक | परिपक्वता | प्रीमियम | प्रयोजन* |
|----------|---------------|--------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|----------|----------|
|          |               |                          |       |                   |          |           |          |          |
|          |               |                          |       |                   |          |           |          |          |
|          |               |                          |       |                   |          |           |          |          |
|          |               |                          |       |                   |          |           |          |          |

- व्यापार अथवा ग्राहक संबंधी तुलनपत्र का उल्लेख करें।

### II. ऑप्शन स्थिति रिपोर्ट

| करेंसी युग्म                | नॉशनल बकाया   |              | नेट पोर्टफोलियो डेल्टा | नेट पोर्टफोलियो गामा | नेट पोर्टफोलियो वेगा |
|-----------------------------|---------------|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| अमेरीकी डॉलर - भारतीय रुपया | अमेरी की डॉलर | अमेरीकी डॉलर | अमेरीकी डॉलर           |                      |                      |
| यूरो- भारतीय रुपया          | यूरो          | यूरो         | यूरो                   |                      |                      |
| जापानी येन -भारतीय रुपया    | जापा नी येन   | जापानी येन   | जापानी येन             |                      |                      |

(अन्य करेंसी पेयरों के लिए इसी प्रकार से)

### कुल नेट ओपन ऑप्शंस पोजीशन (आईएनआर):

4 अप्रैल 2003 के ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 92 में निर्धारित पद्धति का उपयोग करते हुए कुल नेट ओपन ऑप्शंस का पता लगाया जा सकता है।

### III. पोर्टफोलियो डेल्टा रिपोर्ट में परिवर्तन

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर- वृद्धि) के लिए अमरीकी डॉलर-भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन =

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर- हास) के लिए अमरीकी डॉलर-भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन =

इसी तरह, यूरो-भारतीय रूपए, जापानी येन-भारतीय रूपए, जैसे अन्य करेंसी पेयरों के लिए भारतीय रूपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत परिवर्तन (एफसीवाई वृद्धि और कीमत ह्रास अलग-अलग) के लिए डेल्टा में परिवर्तन।

#### **IV. स्ट्राईक कंसंट्रेशन रिपोर्ट**

यह रिपोर्ट मौजूदा स्पॉट स्तर के 150 पैसे के दायरे के आसपास के लिए तैयार की जानी चाहिए। संचयी स्थितियां दी जाए।

सभी राशियाँ मिलियन अमरीकी डॉलर में। जब प्राधिकृत व्यापारी कोई ऑप्षन स्वीकार करता है तो राशि धनात्मक दर्शायी जाए। जब प्राधिकृत व्यापारी कोई ऑप्षन विक्रय करता है तो राशि ऋणात्मक दर्शायी जाए। रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार की स्थिति के अनुसार तैयार की जाएं तथा अगले सोमवार तक भेजी जाएं।

[भाग ग, पैरा 5(क) और पैरा 5ए देखें]

समुद्रपारिय विदेशी मुद्रा उधार – दिनांक  
राशि(समतुल्य मिलियन अमरीकी डालर\* में)

| एडी (स्विप्ट कोड)   | पिछली तिमाही ..... के अंत में अक्षत टीयर - । पूंजी / लागू सीमा <sup>26</sup> (एसपीडी के मामले में) | भाग-ग, पैरा 5(क) के अनुसार बैंकों द्वारा उधार और भाग-ग, पैरा 5(क) के अनुसार एसपीडी द्वारा उधार | रूपया स्त्रोतों की पुनः पूर्ति करने की सीमा से अधिक उधार @ | बाह्य वाणिज्यिक उधार   | औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के निर्यात ऋण पर 01 जुलाई 2003 के मास्टर परिपत्र तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी के विनियम 4.2(iv) के अंतर्गत उधार |
|---|--|--|--|--|--|
| ए   | 1  | 2  | 3  | 4ए   | (बी) बैंकर्स स्वीकृति सुविधा (बीएएफ) / विदेश में निर्यात बिलों पुनर्भुनाई योजना (ईबीआर) उपलब्ध करने के लिए विदेश से ऋण   |
| 5   | 6  | 7  | 8  | 9  | 4बी  |
| टीयर ॥ पूंजी में शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा में गौण ऋण | कोई अन्य संवर्ग (कृपया विशेष रूप से यहां इस स्तंभ में उल्लेख करें)                                 | कुल (1+2+3+6)  | कुल (1+2+3+4+6)  | टीयर-। पूंजी/ए पर लागू सीमा के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त संवर्ग (1+2+3+6) के अंतर्गत उधार | टीयर-। पूंजी/ ए पर लागू सीमा के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त संवर्ग (1+2+3+4+6) के अंतर्गत उधार  |

**नोट:**

\*1. परिवर्तन के लिए रिपोर्ट की तारीख को रिज़र्व बैंक संदर्भ दर और न्यूयॉर्क बंद दरों का उपयोग करें।

@ 2. दिनांक 24 मार्च 2004 के ए. पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 81 के पैरा 4 के अनुसार सुविधा फिलहाल निकाल दी गई है।

<sup>26</sup> भाग-ग पैरा 5ए (क) के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार की निर्धारित सीमा

अनुबंध X

[हटा दिया गया].<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रूखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

[हटा दिया गया] <sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> [आरबीआई/2017-18/138 ए.पी. \(डीआईआर श्रृंखला\) परिपत्र सं. 19, दिनांक 12 मार्च, 2018](#)

## अनुबंध XII

[हटा दिया गया] <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> [आरबीआई/2017-18/138 ए.पी. \(डीआईआर श्रृंखला\) परिपत्र सं. 19 दिनांक 12 मार्च, 2018](#)

### अनुबंध XIII

[हटा दिया गया].<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रूखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

अनुबंध XIV

[हटा दिया गया]<sup>31</sup>

अनुबंध XV

[हटा दिया गया]<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

<sup>32</sup> ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

**अनुबंध XVI**

[हटा दिया गया] <sup>33</sup>

**अनुबंध XVII**

[हटा दिया गया] <sup>34</sup>

**अनुबंध XVIII**

[हटा दिया गया] <sup>35</sup>

**अनुबंध XIX**

[हटा दिया गया] <sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> [आरबीआई/2017-18/138 ए.पी. \(डीआईआर सीरीज\) परिपत्र सं. 19 दिनांकित 12 मार्च, 2018](#)

<sup>34</sup> [आरबीआई/2017-18/138 ए.पी. \(डीआईआर सीरीज\) परिपत्र सं. 19 दिनांकित 12 मार्च, 2018](#)

<sup>35</sup> [ए.पी. \(डीआईआर श्रृंखला\) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020](#)

<sup>36</sup> [ए.पी. \(डीआईआर श्रृंखला\) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020](#)

## अनुबंध XX

अनिवासी आयातक/निर्यातक द्वारा किए गए संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग ..... को समाप्त  
तिमाही के लिए

**प्राधिकृत व्यापारी का नाम –**

| क्रम संख्या | अनिवासी आयातक/निर्यातक/ का नाम | नियातिक/ समुद्रपारीय बैंक का नाम (मॉडल I के मामले में) | अंतर्निहित व्यापार लेन-देन के निरस्तीकरण के साथ, रद्द किये गए व्युत्पन्नी लेनदेन की संख्या, इसके साथ | इसमें शामिल राशि | प्राधिकृत व्यापारी द्वारा की गई कार्रवाई |
|-------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|
|             |                                |  |  |                  |  |

[हटा दिया गया]<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> [ए.पी. \(डीआईआर श्रूखला\) परिपत्र संख्या 13 दिनांक 05 जनवरी 2024](#)

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा और विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा : परिभाषाएँ

इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) 'मुद्रा स्वैप' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जो पूर्व-सहमत विनिमय दर पर स्वैप की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट तिथियों पर दो प्रतिपक्षों को विभिन्न मुद्राओं में ब्याज भुगतान और/या मूलधन की स्ट्रीम का आदान-प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध करता है।

(ख) 'विदेशी मुद्रा कॉल ऑपशन (यूरोपीय)' से अभिप्राय एक ओटीसी/एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जो क्रेता को भविष्य में एक विनिर्दिष्ट तिथि पर विनिर्दिष्ट विनिमय दर पर किसी अन्य मुद्रा के साथ एक निश्चित मुद्रा की सहमत राशि क्रय करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन दायित्व नहीं।

(ग) 'विदेशी मुद्रा कॉल स्प्रेड' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें समान समाप्ति तिथि और भिन्न-भिन्न स्ट्राइक मूल्य के समान संख्या में ओटीसी विदेशी मुद्रा कॉल ऑपशन (यूरोपीय) की एक साथ क्रय और विक्रय शामिल है।

(घ) 'कवर्ड विदेशी मुद्रा कॉल ऑपशन' से अभिप्राय एक लिखित ओटीसी विदेशी मुद्रा कॉल ऑपशन से है, जहां ऑपशन के अंतर्निहित परिसंपत्ति में ऑपशन के राईटर की लॉंग पॉजीशन होती है।

(ङ) 'कवर्ड विदेशी मुद्रा पुट ऑपशन' से अभिप्राय एक लिखित ओटीसी विदेशी मुद्रा पुट ऑपशन से है, जहां ऑपशन के अंतर्निहित परिसंपत्ति में ऑपशन के राईटर की शॉर्ट पॉजीशन होती है।

(च) 'विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें संविदा की तिथि पर सहमत दर पर भविष्य में एक विनिर्दिष्ट तिथि (दो कार्य दिवसों के बाद से अधिक) पर दो मुद्राओं का आदान-प्रदान शामिल होता है।

(छ) 'विदेशी मुद्रा प्यूचर' का अभिप्राय एक एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें संविदा की तिथि पर सहमत दर पर भविष्य में एक विनिर्दिष्ट तिथि (दो कार्य दिवसों के बाद से अधिक) पर दो मुद्राओं का आदान-प्रदान शामिल होता है, लेकिन इसमें विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड शामिल नहीं होती है।

(ज) 'विदेशी मुद्रा पुट ऑप्शन (यूरोपीय)' का अर्थ एक ओटीसी / एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा है जो क्रेता को भविष्य में एक निर्दिष्ट तिथि पर एक निर्दिष्ट विनिमय दर पर किसी अन्य मुद्रा के लिए एक निश्चित मुद्रा की सहमत राशि विक्रय करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन दायित्व नहीं।

(झ) 'विदेशी मुद्रा पुट स्प्रेड' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा है जिसमें समान समाप्ति तिथि और विभिन्न स्ट्राइक मूल्य के समान संख्या में ओटीसी विदेशी मुद्रा पुट ऑप्शन (यूरोपीय) की एक साथ क्रय और विक्रय शामिल है।

(ज) 'विदेशी मुद्रा स्वैप' का अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें एक विनिर्दिष्ट तिथि (निकट चरण) में दो मुद्राओं (केवल मूल राशि) का वास्तविक विनिमय और भविष्य में (दूरगामी चरण) एक तिथि में उक्त दोनों मुद्राओं का संविदा के समय किए गए सहमत दरों पर प्रतिगामी विनिमय शामिल है।

(ट) 'वायदा दर करार' से अभिप्राय दो प्रतिपक्षकारों के बीच एक नकद-निपटान किए गए ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा से है, जिसमें एक क्रेता निपटान तिथि पर पूर्व-निर्धारित नियत दर (एफआरए दर) और एक निर्दिष्ट अग्रिम अवधि के लिए अनुमानित मूल राशि पर लागू संदर्भ ब्याज दर के बीच के अंतर का भुगतान करेगा या प्राप्त करेगा।

(ठ) 'ब्याज दर कॉल आप्शन (यूरोपीय)' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा से है जो क्रेता को भविष्य में एक निर्दिष्ट तिथि पर पूर्व-निर्धारित मूल्य / दर पर ब्याज दर लिखत का क्रय करनें या अनुमानित मूलधन पर ब्याज दर प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन दायित्व नहीं।

(ड) 'ब्याज दर कैप' से अभिप्राय ब्याज दर कॉल आप्शन की एक श्रृंखला (यूरोपीय) (जिसे कैपलेट्स कहा जाता है) से है, जिसमें अंतर्निहित ब्याज दर के अग्रिम रूप से सहमत दर से अधिक होने पर ऑप्शन के क्रेता को प्रत्येक अवधि के अंत में भुगतान प्राप्त होता है।

(ढ) 'ब्याज दर कॉलर' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें एक बाजार प्रतिभागी समान परिपक्ता और समान नॉशनल राशि हेतु समान ब्याज दर पर एक साथ एक ब्याज दर कैप का क्रय और ब्याज दर फ्लोर का विक्रय करता है।

(ण) 'ब्याज दर फ्लोर' से अभिप्राय ब्याज दर पुट ऑप्शन (यूरोपीय) की एक श्रृंखला से है जिसमें अंतर्निहित ब्याज दर के अग्रिम सहमत दर से कम होने पर ऑप्शन के क्रेता को प्रत्येक अवधि के अंत में भुगतान प्राप्त होता है।

(त) 'ब्याज दर पुट आप्शन (यूरोपीय)' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा है जो क्रेता को भविष्य में एक निर्दिष्ट तिथि पर पूर्व-निर्धारित मूल्य / दर पर ब्याज दर लिखत का क्रय करने या नॉशनल मूलधन हेतु ब्याज दर का भुगतान करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन दायित्व नहीं।

(थ) 'ब्याज दर स्वैप' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें दो प्रतिपक्षकार एक विनिर्दिष्ट अवधि में नॉशनल मूल राशि पर लागू फ्यूचर ब्याज भुगतानों की एक स्ट्रीम को दूसरे के लिए विनिमय करने हेतु सहमत होते हैं।

(द) 'रिव्स ब्याज दर कॉलर' से अभिप्राय ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें समान परिपक्तता और समान नॉशनल मूलधन हेतु समान ब्याज दर पर एक साथ एक ब्याज दर फ्लोर का क्रय और ब्याज दर कैप का विक्रय करना शामिल है।

## परिशिष्ट ।

जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन विषयक मास्टर परिपत्र में समेकित अधिसूचनाओं की सूची

| क्रम संख्या | अधिसूचना/परिपत्र  | तारीख            |
|-------------|---|------------------|
| 1           | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 25/2000-आरबी</u></a>            | 3 मई, 2000       |
| 2           | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 28/2000-आरबी</u></a>            | 5 सितंबर, 2000   |
| 3           | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 54/2002-आरबी</u></a>               | 5 मार्च, 2002    |
| 4           | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 66/2002-आरबी</u></a>               | 27 जुलाई, 2002   |
| 5           | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 70/2002-आरबी</u></a>               | 26 अगस्त, 2002   |
| 6           | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 81/2003-आरबी</u></a>               | 8 जनवरी, 2003    |
| 7           | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 101/2003-आरबी</u></a>              | 3 अक्टूबर, 2003  |
| 8           | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 104/2003-आरबी</u></a>              | 21 अक्टूबर, 2003 |
| 9           | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 105/2003-आरबी</u></a>              | 21 अक्टूबर, 2003 |
| 10          | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 127/2005-आरबी</u></a>              | 5 जनवरी 2005     |
| 11          | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 143/2005-आरबी</u></a>              | 19 दिसंबर 2005   |
| 12          | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 147/2006-आरबी</u></a>              | 16 मार्च, 2006   |
| 13          | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 148/2006-आरबी</u></a>              | 16 मार्च, 2006   |
| 14          | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 159/2007-आरबी</u></a>              | 17 सितंबर 2007   |
| 15          | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 177/2008-आरबी</u></a>              | 1 अगस्त, 2008    |
| 16          | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 191/2009-आरबी</u></a>              | 20 मई, 2009      |
| 17          | <a href="#"><u>अधिसूचना सं. फेमा 201/2009-आरबी</u></a>              | 5 नवंबर, 2009    |
| 18          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 210/2010-आरबी</u></a>           | 19 जुलाई, 2010   |
| 19          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 226/2010-आरबी</u></a>           | 16 मार्च, 2012   |
| 20          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 240/2010-आरबी</u></a>           | 25 सितंबर 2012   |
| 21          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 286/2013-आरबी</u></a>           | 5 सितंबर 2013    |
| 22          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 288/2013-आरबी</u></a>           | 26 सितंबर 2013   |
| 23          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 303/2014-आरबी</u></a>           | 21 मई, 2014      |
| 24          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या एफएमआरडी.1/ईडी (सीएस) - 2015</u></a> | 10 दिसंबर, 2015  |
| 25          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या एफएमआरडी.2/ईडी (सीएस) - 2015</u></a> | 10 दिसंबर, 2015  |
| 26          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 365/2016-आरबी</u></a>           | 1 जून, 2016      |
| 27          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 378/2016-आरबी</u></a>           | 25 अक्टूबर, 2016 |
| 28          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 384/2017-आरबी</u></a>           | 17 मार्च, 2017   |
| 29          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 388/2017-आरबी</u></a>           | 24 अक्टूबर, 2017 |
| 30          | <a href="#"><u>अधिसूचना संख्या फेमा 398/आरबी-2020</u></a>           | 18 फरवरी, 2020   |

जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन विषयक मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

| क्रम संख्या | परिपत्र  | तारीख            |
|-------------|--|------------------|
| 1           | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 92           | 4 अप्रैल, 2003   |
| 2           | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 93           | 5 अप्रैल, 2003   |
| 3           | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 98           | 29 अप्रैल, 2003  |
| 4           | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.108           | 21 जून 2003      |
| 5           | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 28           | 17 अक्टूबर 2003  |
| 6           | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 46           | 9 दिसंबर 2003    |
| 7           | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 47           | 12 दिसंबर 2003   |
| 8           | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 81           | 24 मार्च, 2004।  |
| 9           | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं 26            | 1 नवंबर 2004     |
| 10          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं 47            | 23 जून 2005      |
| 11          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 03           | 23 जुलाई 2005    |
| 12          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं 25            | 6 मार्च, 2006    |
| 13          | ईसी.केंका.एफएमडी.सं. 8/02.03.75/2002-03          | 4 फ़रवरी 2003    |
| 14          | ईसी.केंका.एफएमडी.सं. 14/02.03.75/2002-03         | 9 मई 2003        |
| 15          | ईसी.केंका.एफएमडी.सं.345/02.03.129 (नीति)/2003-04 | 5 नवंबर 2003     |
| 16          | ईसी.केंका.एफएमडी.1072/02.03.89/2004-05           | 8 फ़रवरी 2005    |
| 17          | ईसी.केंका.एफएमडी.2/02.03.129 (नीति)/2005-06      | 7 नवंबर 2005     |
| 18          | ईसी.केंका.एफएमडी.21921/02.03.75/2005-06          | 17 अप्रैल 2006   |
| 19          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.21            | 13 दिसंबर 2006   |
| 20          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.22            | 13 दिसंबर 2006   |
| 21          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.32            | 8 फ़रवरी 2007    |
| 22          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.52            | 8 मई 2007        |
| 23          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.66            | 31 मई 2007       |
| 24          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.76            | 19 जून 2007      |
| 25          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.15            | 29 अक्टूबर 2007  |
| 26          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.17            | 6 नवंबर 2007     |
| 27          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.47            | 3 जून 2008       |
| 28          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 05           | 6 अगस्त 2008     |
| 29          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.23            | 15 अक्टूबर, 2008 |
| 30          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.35            | 10 नवंबर 2008    |
| 31          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.50            | 4 फ़रवरी 2009    |
| 32          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.27            | 19 जनवरी 2010    |
| 33          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.05            | 30 जुलाई 2010    |
| 34          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.32            | 28 दिसंबर 2010   |
| 35          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.60            | 16 मई 2011       |
| 36          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.67            | 20 मई, 2011      |
| 37          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.68            | 20 मई, 2011      |
| 38          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.3             | 21 जुलाई, 2011   |
| 39          | ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.50            | 23 नवंबर 2011    |

|    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 40 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.58    | 15 दिसंबर 2011   |
| 41 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.63    | 29 दिसंबर 2011   |
| 42 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.68    | 17 जनवरी 2012    |
| 43 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.122   | 09 मई, 2012      |
| 44 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.3     | 11 जुलाई, 2012   |
| 45 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.13    | 31 जुलाई, 2012   |
| 46 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.21    | 31 अगस्त, 2012   |
| 47 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.30    | 12 सितंबर 2012   |
| 48 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.45    | 22 अक्टूबर, 2012 |
| 49 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.86    | 1 मार्च, 2013    |
| 50 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.121   | 26 जून, 2013     |
| 51 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.2     | 4 जुलाई 2013     |
| 52 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.7     | 8 जुलाई, 2013    |
| 53 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.17    | 23 जुलाई 2013    |
| 54 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.18    | 1 अगस्त, 2013    |
| 55 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 36   | 4 सितंबर 2013    |
| 56 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 40   | 10 सितंबर 2013   |
| 57 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 61   | 10 अक्टूबर, 2013 |
| 58 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 92   | 13 जनवरी, 2014   |
| 59 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 96   | 20 जनवरी, 2014   |
| 60 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 114  | 27 मार्च, 2014   |
| 61 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 119  | 7 अप्रैल, 2014   |
| 62 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 135  | 27 मई, 2014      |
| 63 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 147  | 20 जून, 2014     |
| 64 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 148  | 20 जून, 2014     |
| 65 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 28   | 8 सितंबर 2014    |
| 66 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 34   | 30 सितंबर 2014   |
| 67 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.58    | 14 जनवरी, 2015   |
| 68 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं.78    | 13 फरवरी, 2015   |
| 69 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 90   | 31 मार्च, 2015   |
| 70 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 91   | 31 मार्च, 2015   |
| 71 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 103  | 21 मई, 2015      |
| 72 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 112  | 25 जून, 2015     |
| 73 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 20   | 8 अक्टूबर, 2015  |
| 74 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 28   | 5 नवंबर, 2015    |
| 75 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 35   | 10 दिसंबर, 2015  |
| 76 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 78   | 23 जून, 2016     |
| 77 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 30   | 2 फ़रवरी 2017    |
| 78 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 41   | 21 मार्च, 2017   |
| 79 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र संख्या 3 | 10 अगस्त, 2017   |
| 80 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 8    | 12 अक्टूबर, 2017 |
| 81 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 11   | 9 नवंबर, 2017    |
| 82 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 18   | 26 फरवरी, 2018   |

|    |                                       |                |
|----|---------------------------------------|----------------|
| 83 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 15 | 6 जनवरी, 2020  |
| 84 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 23 | 27 मार्च, 2020 |
| 85 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 29 | 7 अप्रैल, 2020 |
| 86 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 31 | 18 मई, 2020    |
| 87 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 05 | 06 जून, 2023   |
| 88 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 13 | 05 जनवरी, 2024 |
| 89 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 04 | 03 मई, 2024    |
| 90 | ए.पी. (डीआईआर श्रंखला) परिपत्र सं. 10 | 22 सितंबर 2025 |

इन परिपत्रों को फेमा, 1999 और उसके तहत जारी किए गए नियमों/विनियमों/निदेशों/आदेशों/अधिसूचनाओं के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए।

## परिशिष्ट II

अधिक्रमित की गई अधिसूचनाओं की सूची-

- (i) आरबीआईए 1934 के तहत जारी करेंसी प्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 ([अधिसूचना संख्या एफईडी.1/डीजी\(एसजी\)-2008, दिनांक 06 अगस्त 2008](#));
- (ii) आरबीआईए 1934 के तहत जारी करेंसी प्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2010 ([अधिसूचना संख्या एफईडी.2/ईडी\(एचआरके\)-2010, दिनांक 19 जनवरी 2010](#));
- (iii) आरबीआईए, 1934 के तहत जारी एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 [अधिसूचना संख्या एफईडी.01 / ईडी\(एचआरके\)- 2010, दिनांक 30 जुलाई 2010](#);
- (iv) करेंसी प्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014 (अधिसूचना संख्या एफईडी.1/ईडी(जीपी)-2014, दिनांक 20 जून 2014);
- (v) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014 (अधिसूचना संख्या एफईडी.2/ईडी(जीपी)-2014, दिनांक 20 जून 2014);
- (vi) करेंसी प्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015 ([अधिसूचना संख्या एफएमआरडी.1/ईडी\(सीएस\)-2015, दिनांक 10 दिसंबर, 2015](#));
- (vii) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015 ([अधिसूचना संख्या एफएमआरडी.2/ईडी\(सीएस\)-2015, दिनांक 10 दिसंबर 2015](#));
- (viii) करेंसी प्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2017 ([अधिसूचना संख्या एफएमआरडी.13/सीजीएम\(टीआरएस\)-2017, दिनांक 2 फरवरी, 2017](#));
- (ix) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2017 ([अधिसूचना संख्या एफएमआरडी.14/सीजीएम\(टीआरएस\)-2017, दिनांक 2 फरवरी, 2017](#));
- (x) करेंसी प्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2020 ([अधिसूचना संख्या एफएमआरडी.एफएमडी.03/ईडी\(टीआरएस\)-2020, दिनांक 20 जनवरी, 2020](#)); और
- (xi) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2020 ([अधिसूचना संख्या एफएमआरडी.एफएमडी.04/ईडी\(टीआरएस\)-2020, दिनांक 20 जनवरी, 2020](#))।

### परिशिष्ट III

| क्रम संख्या | परिपत्र  | दिनांक           |
|-------------|--|------------------|
| 1           | <a href="#">एफएमडी.एमएसआरजी.सं. 67/02.05.002/2011-12</a>   | 09 मार्च, 2012   |
| 2           | <a href="#">एफएमडी.एमएसआरजी.सं.69/02.05.002/2011-12</a>    | 22 जून 2012      |
| 3           | <a href="#">एफएमडी.एमएसआरजी.सं.72/02.05.002/2012-13</a>    | 12 अक्टूबर 2012  |
| 4           | <a href="#">एफएमडी.एमएसआरजी.सं.75 /02.05.002/2012-13</a>   | 13 मार्च, 2013   |
| 5           | <a href="#">एफएमडी.एमएसआरजी.सं. 94 /02.05.002/2013-14</a>  | 04 दिसम्बर, 2013 |
| 6           | <a href="#">एफएमआरडी.एफएमआईडी सं. 3/02.05.002/2017-18</a>  | 21 सितंबर, 2017  |
| 7           | <a href="#">एफएमआरडी.एफएमआईडी सं. 23/02.05.002/2019-20</a> | 01 जनवरी, 2020   |